NEWS LETTER

FOCUS AREA FOR JUNE 2021

ACCESIBILITY TO GOOD HEALTH

BLOOD DONATION CAMP

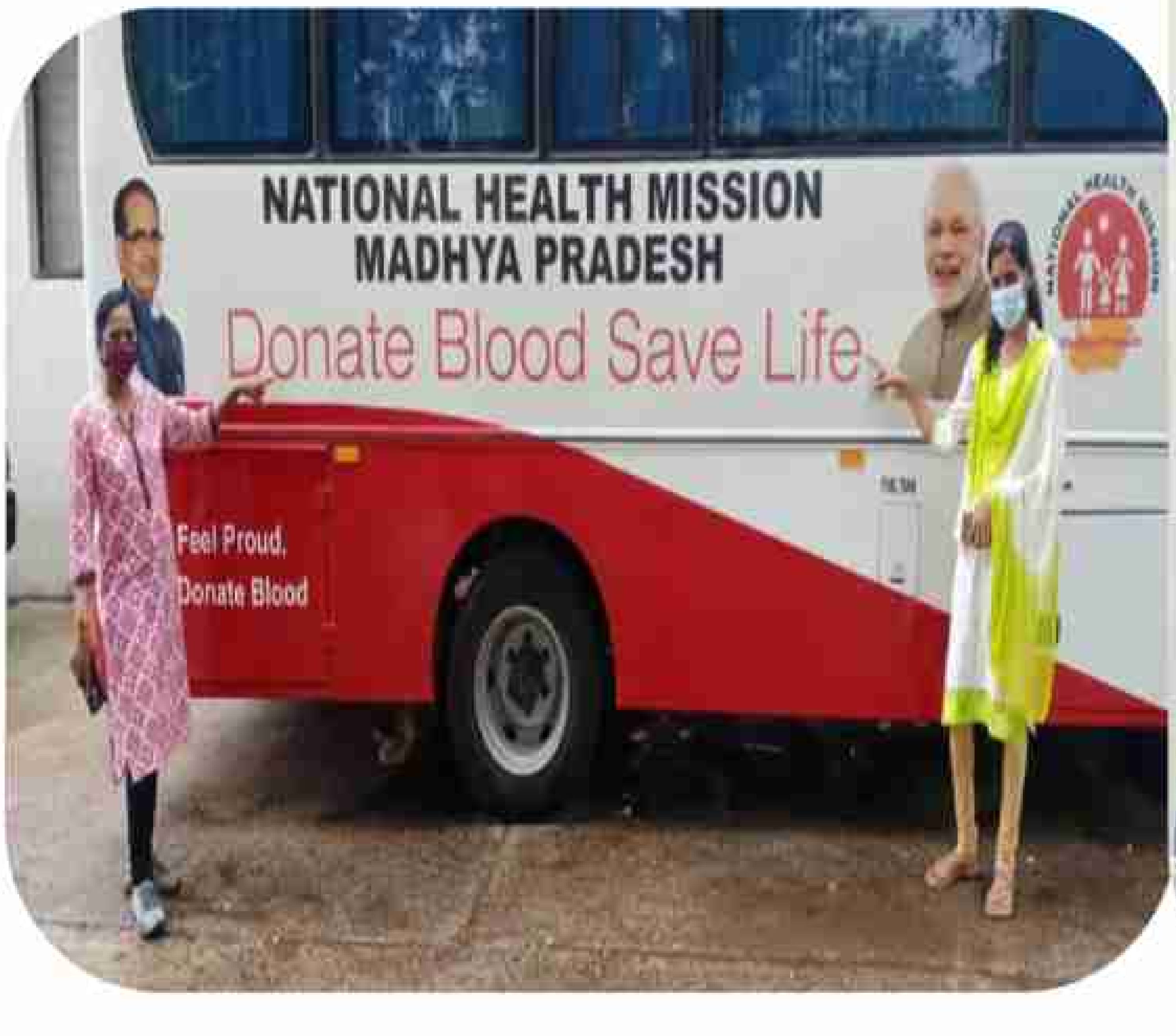

M.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
JABALPUR (M.P.)

Table of Contents

S.No.	Subject	Page No.
1	Online Training Program for the Prison Officials	1-2
2	Jail Inspection by DLSAs	3-6
3	Articles of Jail Inmates	7-13
4	Legal Services to Children under NALSA Scheme	14-19
5	Legal Services to Senior Citizen under NALSA Scheme	20
6	Mediation	21-26
7	Lok Adalat Programmes	27-31
8	World Environment Day (05.06.2021)	32-39
9	Blood Donation Camp (26.06.2021)	40-52
10	International Day of Yoga	53-57
11	Celebration of Bharat ka Amrit Mahotsava	58
12	Inauguration – Commencement of Legal Aid Clinic	59-60
13	Training and Webinar	61-62
14	Legal Services to Disaster Victims	63
15	Panch "J"	64-65
16	Vaccination Drive by DLSAs	66-69
17	Litigation Free Village Scheme	70-75
18	Success Story	76
19	Women Empowerment	77
20	Resolution of Complaint Received Through Legal Aid Helpline- 15100	77

Online Training Program for the Prison Officials

Under the guidance of Hon'ble the Executive Chairman, MPSLSA conducted 2 days Online Training Program on 10th June 2021 for the Prison Officials of Madhya Pradesh Prisons on their issues in coordination with India Vision Foundation, DIG Central Jail Jabalpur.

The training program, held under the aegis of MP SLSA, is a unique and one of its kind collaborations between a State Legal Service Authority (here MP SLSA), Prison department (Madhya Pradesh Prisons & Correctional Services) and a non-government organization (India Vision Foundation).

India Vision Foundation, 27 years old, New Delhi based non-governmental organization and a pioneer of Prison reforms is founded by Dr. Kiran Bedi, shared the responsibility of training Prison Prahri's of seven Prisons of Madhya Pradesh viz. Jabalpur, Narsinghpur, Gwalior, Bhopal, Sagar, Rewa and Indore. Accordingly, 25 Prison Prahris's of Central jail Jabalpur and district jails of Mandala, Dindori and Katni, participated in the training program under the monitoring and supervision of the office of MP SLSA and Nodal Officer, training MP Prisons.

The aim of the training is to sensitize Prison Prahri's about the need of Reformation of Prison Inmates and their role in this process of Correction.

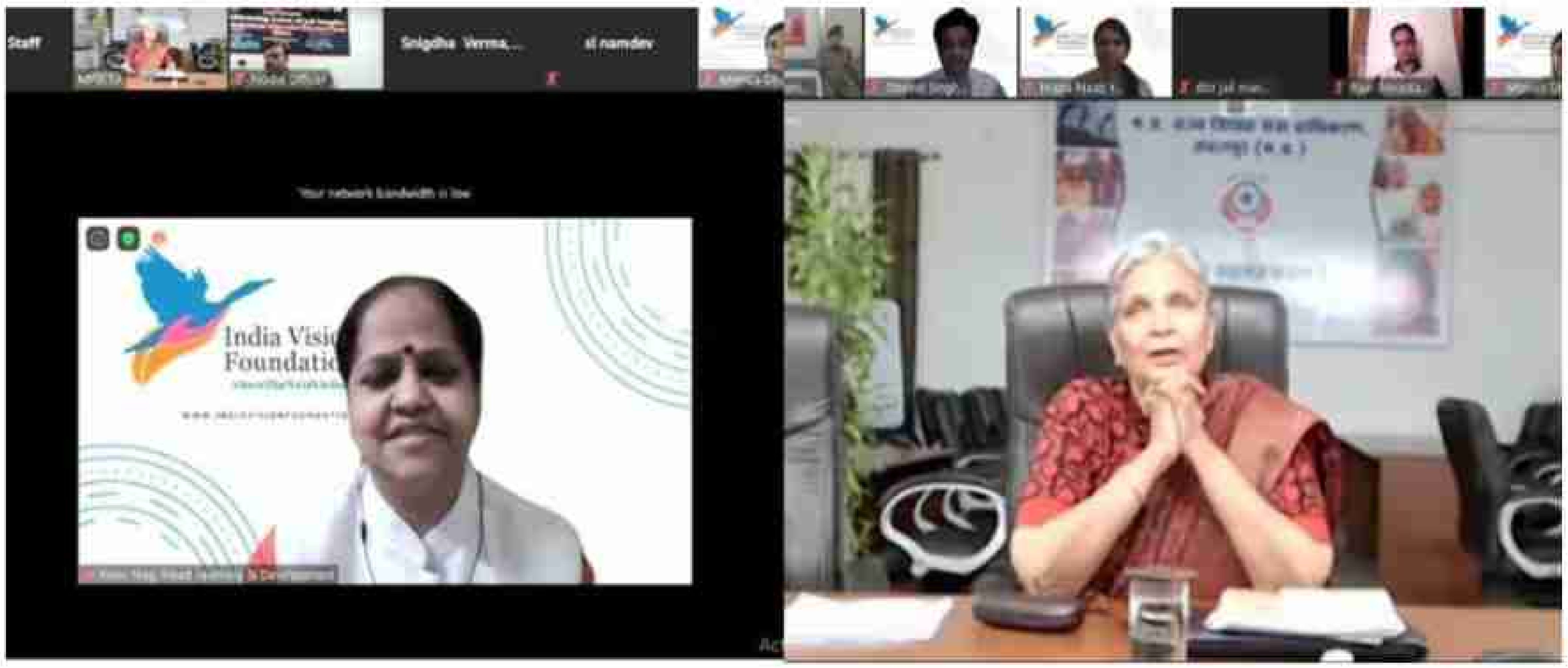

जेल प्रहरियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

कार्यालय संवाददाता, जबलपुर| मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ और इंडिया विजन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में जेल प्रहरियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण का ऑनलाइन शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रहरियों को प्रभावी संसूचना, सुधार में वार्डनों की भूमिका एवं प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्राधिकरण की सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह, डीआईजी जेल जीपी ताम्रकार, मोनिका धवन और रेनु नाग सम्मिलित रहीं।

TheHitavada

Jabalpur City Line | 2021-06-11 | Page- 4
ehitavada.com

MPSLSA's online training programme begins

Legal Correspondent

UNDER the guidance of the Executive Chairman, MPSLSA, on Thursday, a 2-day Online Training Program for the Prison Officials of Madhya Pradesh Prisons on the "Issues of Prison Inmates" was inaugurated by Giribala Singh, Member Secretary, Madhya Pradesh State Legal Service Authority.

The Director of India Vision Foundation, Monica Dhawan and GV Tamrakar, DIG Jabalpur Range and Nodal Officer for this Training Program also graced the function with their online presence. The training program, held under the aegis of MP SLSA, is a unique and one of its kind collaborations between a State Legal Service Authority, Prison department (Madhya Pradesh Prisons & Correctional Services) and a non-government organization (India Vision Foundation). India Vision Foundation, 27 years old, New Delhi based non-governmental organization and a pioneer of Prison reforms is founded by Dr. Kiran Bedi, the first lady Police Officer in India, has the responsibility of training Prison Prahri's of 7 Prisons of Madhya Pradesh Prisons & Correctional Services namely Jabalpur, Narsinghpur, Gwalior, Bhopal, Sagar, Rewa and Indore.

Prison officials during the online training program at Central Jail.

On Thursday on the first day of Online Training, 25 Prison Prahris's of Central jail Jabalpur and district jails of Mandala, Dindori and Katni, participated in the training program under the monitoring and supervision of the office of MP SLSA and Nodal Officer, training MP Prisons. The aim of the training is to sensitize Prison Prahri's about the need of Reformation of Prison Inmates and their role in this process of Correction.

Powered by Bharati Web Pvt Ltd

Jail Inspection by DLSAs

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इंदौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इंदौर द्वारा जिला जेल एवं केन्द्रीय जेल, इन्दौर में जेल बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों एवं विधिक सेवा योजना के संबंध में जानकारी देने हेतु दिनांक 09.06.2021 को विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा एवं हाई पॉवर कमेटी की बैठक में पारित संकल्प अनुसार अंतरिम जमानत आवेदन की पात्रता एवं सजायाफ्ता बंदियों को पैरोल पर रिहा किये जाने के संबंध में जानकारी दी गई। सचिव द्वारा जेल बंदियों को अंडर ट्रायल रिव्यु कमेटी की कार्य प्रणाली के बारे में बताते हुए बंदियों को जमानत पर रिहा किये जाने के संबंध में विहित प्रत्येक प्रावधान के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। कार्यक्रम के बंदियों के द्वारा उनके प्रकरणों में अंतरिम जमानत/जमानत व पैरोल पर रिहा होने के संबंध में प्रश्न पूछे गए जिनका समाधान किया गया, साथ ही पात्र बंदियों के अंतरिम जमानत आवेदन संबंधित न्यायालय एवं पैरोल आवेदन संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया। जेल प्रशासन को अंडर ट्रायल रिव्यु कमेटी से संबंधित प्रावधानों के संबंध में बंदियों के मध्यम जानकारी के प्रचार प्रसार हेतु जेल परिसर में उचित स्थानों पर बैनर लगवाने हेतु निर्देशित किया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुना

जेल में निरूद्ध बंदी अपने द्वारा किये गये अपराध के संबंध में आत्मावलोकन करने, गलती की पुनरावृत्ति न करने तथा जीवन में नशामुक्ति के संकल्प लेकर अपना भविष्य स्वस्थ एवं सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा जिला जेल गुना में नालसा (नशा पीड़ितो को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिये) योजना 2015 के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बंदियों से कोविड–19 की गाईड लाइन का कड़ाई से पालन किये जाने तथा अपने परिजनों को मुलाकात के दौरान कोरोना वैक्सीन लगवाये जाने हेतु प्रेरित करने की अपील की गई। कार्यक्रम में एच.आई.वी. से संबंधित जानकारी के लिए जारी की गई राष्ट्रीय हेल्पलाईन नम्बर 1097 एवं नालसा टोल फ्री नं. 15100 की भी जानकारी प्रदान की।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,खण्डवा द्वारा दिनांक 03.06.2021 को जिला जेल खण्डवा (म0प्र0) में बंदियों के साहित्यिक कौशल को बढ़ावा देने एवं जेल पुस्तकालय को समृद्ध करने के उद्देश्य से बंदियों को उपयोग व ज्ञानवर्धक पुस्तक, नोटबुक, पेन का वितरण किया गया। इसके साथ ही दिनांक 14.06.2021 को जिला जेल खण्डवा के बंदियों के सकारात्मक भाव एवं अवसाद से बाहर करने हेतु एन.जी.ओ. के समन्वय से जेल प्रशासन को हार्मोनियम एवं ढोलक का सेट वितरित किया। उक्त कार्यक्रम के साथ विधिक साक्षरता शिविर भी आयोजन किया गया जिसमें बंदियों को उनके अधिकारी के संबंध में भी जानकारी दी।

Glimpses of Jail Inspection and legal awareness Camps

DLSA SHEOPUR

DLSA ANUPPUR

DLSA MANDLESHWAR

DLSA JABALPUR

DLSA BURHANPUR

DLSA HOSHANGABAD

DLSA MANDSAUR

DLSA BARWANI

DLSA SINGRAULI

DLSA DEWAS

It is far better to be alone, than to be in bad company.

.....George Washington

जेल की पाती

// 1 //

हम और हमारा पर्यावरण

इस कोरोना महामारी ने मनुष्य को यह अहसास कराया है कि वह प्रकृति का स्वामि नहीं है, बल्कि अनंत प्रणाली का सकिय घटक है। हमारा अस्तित्व और कल्याण प्रकृति के संचालन पर निर्भर है।

आज कारोना महामारी जो इतना विकराल रूप लिये हुए है उसके लिए कहीं –न–कहीं मनुष्य जिम्मेदार है। अगर हमने वन,जल, मृदा आदि संसाधनों एवं प्रकृति के तत्वों का दुरूपयोग नहीं किया होता तो शायद आज कोरोना जैसी महामारी नहीं होती। अगर हम सोच लें कि हम अपने आस–पास 2 कि.मी. की दूरी में होने वाली कियाएँ सायकिल के माध्यम से करें तो इससे ईंधन की खपत कम होगी, मनुष्य स्वस्थ्य रहेगा एवं पर्यावरण प्रदूषण कम होगा।

अब समय आ गया है कि जब भी किसी वस्तु का उपयोग करना हो तब स्वयं से पूछना चाहिये कि हमें वास्तव में इसकी आवश्यकता है या नहीं ? कहीं इसके प्रयोग से पर्यावरण को हानी तो नहीं होगी ? मानव समाज को पेड़ों से मिलने वाली स्वच्छ हवा और प्रकृति से मिलने वाले पानी और ऐसी अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अमूल्य सेवाओं की अहमियत का अहसास होना चाहिए।

गीता में एक बात कही गई है,''अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। '' उसी तथ्य में कहना चाहता हूँ कि अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति (पर्यावरण) हमारी रक्षा करेगी।

आज मनुष्य ने अपनी बुद्धिमता से कुशलता से बहुत कुछ हासिल कर लिया है। बड़ी बिल्डिगें, बड़े बड़े कारखाने, बड़े–बड़े उद्योग हानिकारक रसायन दवाईयां इत्यादि ये सब मनुष्य की उपलब्धियां है, यह सब मनुष्य में अपनी मेहनत से हासिल किया है, लेकिन यह बात क्यों भूल गया जो आज कारखानों से निकला धुंआ, तरल जहरीला पदार्थ, कैमिकल पदार्थ ये सब भी मनुष्य के ही कारण है, जिससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण जैसे अनेक प्रदूषणों के कारण प्रकृति पर बहुत बुरा प्रभाव हो रहा है। अगर कम शब्दों में कहूं तो मनुष्य ने अपना काल स्वयं बनाया है। आज के इस दौर में जो हम कोरोना जैसी महामारी देख रहे हैं, वह सब हमारी गलतियों का दुष्परिणाम है। सही मायने में कहूँ तो ''अपने घमंड के वशीभूत होकर हमने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है।''

आज तो तूफान, भूकंप, सुनामी और भयानक कोरोना जैसी महामारी है यह सब हमारी करनी का ही फल हैं, लेकिन वक्त रहते हम समझ गये तो आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कर सकेंगे।

आपदा को अवसर में बदलने का मौका– हम स्वीकारते हैं कि महामारी एवं प्रदूषण आदि को बढ़ावा देने में मनुष्य का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन हमें अपनी पुरानी गलतियों को सुधार कर इस आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास करना है। हमें संकल्प लेना होगा कि हम अपने आस–पास पेड़–पौधों का रोपण कर उनको सुरक्षित रखेंगे।

"आपदा ने हमको यह सिखलाया है।
प्रकृति की रक्षा करने का मार्ग दिखलाया है।
इस अच्छे संकल्प को हम भूल नहीं पाएंगे।?
लेते हैं संकल्प, हम पेड़ जरूर लगाएँगे।।"

जीवन के लिए पेड़ जरूरी है:– पेड़ों से ही जीवन चलता है। कोविड के इस दौर में लोगों को ऑक्सीजन को सख्त जरूरत पड़ रही है। ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हमें पेड़ों की जरूरत है और वह जैव–विविधता से ही संभव है। हमें समझना होगा कि पेड़ों से ही हमारा जीवन चलता है और आगे भी चलेगा।

बंदी
ऋषभ उर्फ शेरा शर्मा

बंधन क्या है?

इस सृष्टि में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके पास विकसित मन है। इसी मन के कारण वह बंधन की कल्पना करता है व इन बंधनों से छुटकारों की इच्छा करता है, प्रयत्न करता हैएवं उपाय खोजता है। पशु–पक्षियों व वनस्पति आदि में न बंधन की कोई कल्पान है न वे मुक्ति के लिए प्रयत्नशील होते है। उनको कोई बंधन नहीं है, इसलिए मुक्ति की चाह नहीं है। वे मुक्त ही है, स्वतंत्र ही है, स्वच्छन्द ही है। वे अपने स्वभाव में जीते हैं। किन्तु मनुष्य के पास विकसित मन है जिसमें अनेक प्रकार की वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, इच्छायें हैं जिससे वह सब कुछ पाना चाहता है। सम्पूर्ण सृष्टि पर अपना अधिकार कर लेना चाहता है, यहाँ तक कि स्वर्ग पर भी अपना अधिकार कर लेना चाहता है, यहाँ तक कि स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। इसी कारण वह सृष्टि से स्वयं बंध जाता है, उसकी भोगवादी वासना एवं आधिपत्य बनाने की वासना के कारण ही वह दूसरों से स्वयं बंध जाता है। मनुष्य को दूसरा कोई बंधन नहीं है। उसकी वासना एवं भोगेच्छा ही उसका बंधन है। वासना चूंकि मन की उपज है इसलिए यह मन ही उसके बंधन का कारण है एवं मन की कियाओं से मुक्त होना ही मुक्ति है। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है जब यह विषयासक्त होता है तो बंधन है तथा निर्विषय होने पर यही मुक्ति का कारण बनता है।

बंदी श्री सुरेश कुमार/चन्द्रभान गोड़
जिला जेल पन्ना म0प्र0

वाणी पर संयम की सफल जीवन का आधार

सफल जीवन जीने की आकांक्षा यदि साकार करनी हो तो पहला कदम आत्मनिरीक्षण का उठाया जाना चाहिये। अपने विचारों, मान्यताओं और आस्थाओं की समीक्षा करनी चाहिये और अभिमान का परित्याग करना चाहिये। जीभ सबके मुख में है और बोलते भी सभी है पर बोलना किसी को ही आ पाता है। वाणी का सही उपयोग कोई–कोई ही कर पाते हैं। विद्वानों ने 'शब्द' को 'शिव' और 'वाणी' को 'शक्ति' कहा है। इनका अनुग्रह जिस पर हो उसे अमृत्व का उपभोग ही कहना चाहिए। शब्द–कंठ और जिव्हवा का उच्चारण भर नहीं है, और न जीभ कैंची की तरह दिन भर चलाने एवं अनर्गल बकवास करने के लिये बनाई गई है। बल्कि इसमें अपार शक्ति का भण्डार भरा पड़ा है। यह उच्चारण अपने को तथा दूसरे को कितना प्रभावित करता है। इसका मर्म जो समझ लेते है वे एक–एक शब्द को माप–तौलकर बोलते है और अपनी निश्छलता एवं श्रद्धा का समावेश करके वाणी को इतना प्रभावशाली बना देते हैं कि सुनने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता।

'कागा काको धन हरे, कोयल काको देय,

मीठी वाणी बोलकर, जग बस में कर लेख।।

मीठी वाणी बोलकर सारे जग को वश में किया जा सकता है। दूसरों को अपना बनाया जा सकता है और लोगों के ह्रदय में स्थान पाया जा सकता है।

बंदी घनश्याम रजक
जिला जेल पन्ना म.प्र.

लॉकडाउन

थम न जाये सांसे हमारी,
इसलिये थम गयी दुनिया सारी.............

वाहन थम गये देखो सारे, और थमी रेलगाड़ी
मोटर गाड़ी थम गयी सबकी, और थमी विमान प्रणाली
थम न जाये सांसे..........

पिक्चर हॉल और शॉपिग मॉल, बंद पड़ी सब दुनियादारी
ओलंपिक से I.P.L. तक, नहीं बन पायी क्रिकेट की पारी
थम न जाये सांसे..........

नहीं थमे हैं कदम हमारे, चाहे, कोई आये महामारी
हम ड्यूटी पर तत्पर रहते, नहीं हमने हिम्मत है हारी
थम न जाये सांसे..........

नहीं थमें हैं विचाार हमारे , बोल पड़ी हैं "नीशू" की जुबानी
यहां वहां सब देख परख कर, लिख दी हमने कोरोना की कहानी।

नीशू कुर्मी प्रहरी

केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर (म.प्र.)

" छत्तीसगढ़ी कोरोना गीत "

कोरोना वायरस मार भगाहू गा
कोरोना वायरस मार भगाहू
मैं भारत माता के बेटा और गा
कोरोना वायरस मार भगाहू
मोदी जी बोल दिये घर मा रहना
हे घर मा रहना हे पुलिस शासन
को साथ निभाना हैं। साथ निभाना हैं।
नियम नई हे ठिकाना कोरोना वायरस मार भगाहू।
मुँह मा गमछा ला बाँध के रखना
हे बाँध के रखना हे एक मिटर
दूरी में मिल जुल रहना हे मिल जुल
रहना हे नियम नई हे ठिकाना कोरोना
वायरस मार भगाहू गा
भारत देश को स्वर्ग बनाना हे स्वर्ग बनाना हे
महामारी से संगी सब ला बचाना हे सब ला बचाना हे
नियम नई हे ठिकाना कोरोना वायरस
मार भगाहू गा
कोरोना वायरस मार भगाहू गा
कोरोना वायरस मार भगाहू – 02 बार

विचाराधीन बंदी
कृष्णा पिता बुद्धू
सब जेल वारासिवनी

मेरी व्यथा

अगर ऐसी ही लिखी है किस्मत मेरी
चिंता नही जब तक है, कृपा तेरी।
अगर कृपा नही होती तो मर ही जाता
तेरे दर पर शायद कभी नही आता।
करना ही था तो कुछ ऐसा कर देते भगवान,
ना आता मैं जेल ना जाता मेरा सम्मान।

कुछ लोग कठिन वक्त मे भी ऐसा काम कर जाते है,
जेल मे रहकर भी दिलों में अपना मुकाम कर जाते है।
कुछ लोगाों को कफन तक नसीब नहीं होते,
और कुछ मरकर भी गांधी की तरह नाम कर जाते है।

आज है ये बात मेरे मन के ख्वाबों में,
क्यों नही हम इन कुछ किताबों में।
कैसे किसी ने ऊंचा मुकाम पाया होगा,
कुछ तो हम भी होगा जो आज तक सामने ना आया होगा।
एक दिन हम भी होगे इन किताबों में,
और ये बात सच होगी, ना होगी सिर्फ ख्वाबों में।

क्यों यहा कोई आम कोई खास है,
कब इन खास लोगो में भी हमारा नाम होगा।
मंजिल मिल ही जायेगी भटकते ही सही,
गुमराह तो वो है, जो घर से निकले ही नही।

विचाराधीन बंदी
हनीफ पिता साकिन असारी
जिला जेल सिवनी

Media Coverage

जिला जेल में लगा विधिक साक्षरता शिविर

आचरण, गुना। जेल में निरुद्ध बंदी अपने द्वारा किए गए अपराध के संबंध में आत्मावलोकन करें एवं जो गलती हुई है, आगे उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसका प्रयास करें। जीवन में नशामुक्ति का संकल्प लेकर अपना भविष्य स्वस्थ एवं सुरक्षित रखने की जेल में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में जिला न्यायाधीश संजय चतुर्वेदी द्वारा व्यक्त किए गए। उन्होंने निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी उपबंधों की जानकारी प्रदान की।

कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश एके मिश्र ने बंदियों से का कड़ाई से पालन करने तथा अपने परिजनों को मुलाकात के दौरान कोरोना वैक्सीन लगवाये जाने हेतु प्रेरित करने की अपील की। साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाओं में दिए गए अंतरिम जमानत एवं पैरोल संबंधी निर्देशों के संबंध में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा ने एचआईवी से संबंधित जानकारी के लिए जारी किए गए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नम्बर 1097 एवं नालसा टोल फ्री नं. 15100 के संबंध में जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर वरिष्ठ जेल उपाधीक्षक दिलीप सिंह, जेल

विशेष न्यायाधीश ने किया केंद्रीय जेल का निरीक्षण

बड़वानी केंद्रीय जेल में शिविर का आयोजन कर जानकारी दी गई। ●नईदुनिया

मानसिक तनाव को दूर करने के लिए जागरूकता सहयोग एवं मानसिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित

पैरालीगल वालिंटियर अनिता चौकसे ने बंदियों को कोरोना से बचाव व निशुल्क

गई। बिना मास्क और बेवजह घूमने पर भी चलान बनाए गए।

जिला जेल में कोई भी कैदी संक्रमित नहीं

313 को लग चुकी है वैक्सीन

मृदुभाषी, सिटी रिपोर्टर

हानपुर। अपर जिला न्यायाधीश जिला धिक सेवा प्राधिकरण नरेंद्र पटेल ने जिला न खंडवा का गूगल मीट के माध्यम से नलाइन निरीक्षण कर कैदियों से चर्चा । इस दौरान उन्हें जेल प्रबंधन ने बताया 313 बंदियों को कोरोना वैक्सीन के प्रथम डोज लगाए जा चुके हैं तथा 32 महिला बंदियों को कोरोना वैक्सीन के प्रथम डोज एवं 11 महिला बंदियों को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लग चुका है। जेल में कोई भी ी संक्रमित नहीं है। बंदियों ने बताया उन्हें ना-पानी अच्छा मिलता है। रोज सुबह ा, प्राणायाम किया जाता है एवं मास्क ाकर रहते हैं। तीन जगह पर आइसोलेशन ई बनाकर रखे है जिनमें संक्रमण होने पर वश्यकतानसार बंदियों को रखा जाता है।

पुस्तकें अच्छे व्यक्तित्व निर्माण में योगदान देती हैं-अतलसिया

खंडवा. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गुरुवार को जिला जेल खंडवा में निरीक्षण किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर डीजे एलडी बौरासी के मार्गदर्शन यहां बंदियों के साहित्यक कौशल को बढ़ावा देने व जेल पुस्तकालय को समृद्ध करने के लिए ये निरीक्षण हुआ। निरीक्षण में जिला विधिक सेवा के अपर सत्र न्यायाधीश/सचिव हरिओम अतलसिया, विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडलोई व जेल अधीक्षक ललित दीक्षित मौजूद थे। इस अवसर पर हरिओम अतलसिया ने कहा कि पुस्तकें अच्छे व्यक्तित्व व चरित्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। किताब, कॉपी, पेन का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। पुस्तकें हमारी सबसे सच्ची मित्र होती होती हैं, जो हमारा अच्छी बुरी हर परिस्थिति में साथ देती हैं। हरिओम अतलसिया व चंद्रेश मंडलोई द्वारा जेल का निरीक्षण कर बंदियों को प्ली बार्गेनिंग योजना, नालसा की नशा पीड़ित योजना, बंदियों के अधिकार, लोक अदालत, मध्यस्ता आदि विषय पर जानकारी दी गई।

अपने अपराध के संबंध में आत्मावलोकन करें : चतुर्वेदी

जिला जेल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

जेल में लगा विधिक साक्षरता शिविर

जबलपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बुधवार को केन्द्रीय जेल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी मोहम्मद जिलानी की अध्यक्षता तथा जेल अधीक्षक एवं उप-महानिरीक्षक जेल गोपाल प्रसाद ताम्रकार की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम के दौरान पैनल अधिवक्ता राणा भट्टाचार्य, शेख मंजूर, अमिताभ भारतीय एवं सिद्धार्थ सनेया उपस्थित थे। शिविर के दौरान जिला विधिक सहायता अधिकारी मो. जिलानी द्वारा दण्डित एवं विचाराधीन बंदियों की पैरोल के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान पैनल अधिवक्ता राणा भट्टाचार्य द्वारा बंदियों को उनके अधिकारों एवं नि:शुल्क विधिक सहायता संबंधी जानकारी दी गई। पी-2

Legal Services to Children under NALSA Scheme

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा दिनांक 03.06.2021 को बाल कल्याण समिति देवास में ऑनलाइन माध्यम से विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में नालसा बच्चो की मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा द्वारा दिनांक 11.06..2021 को नवजीवन चिल्ड्रन होम्स खण्डवा म0प्र0 में बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा व अन्य विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में उपस्थित बालकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर द्वारा दिनांक 01.06.2021 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर द्वारा बाल सुरक्षा दिवस पर चाईल्ड लाईन बुरहानपुर के सदस्यों के मध्य विधिक कार्य शाला/शिविर का आयोजन किया गया। सचिव द्वारा उक्त कार्यशाला में बालकों के विरूद्व हो रही हिंसा, बाल शोषण, बाल मजदूरी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015, लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012, मध्य प्रदेश अपराध पीडित प्रतिकर योजना संबंधी जानकारी दी। चाईल्ड लाईन के सदस्यों को शाला त्यागी बच्चों की जानकारी निकाले जाने तथा उनके पुनः नामांकन कराने सबंधी निर्देश दिये गये।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम द्वारा दिनांक 08.06.2021 को ऑनलाईन माध्यम से बाल गृह, देव प्रकाश सेवा संस्थान समिति, रतलाम का निरीक्षण करने के साथ शिविर आयोजित किया गया। निरीक्षण के दौरान बाल गृह में निवासरत बच्चों को कोरोना वायरस से सुरक्षा हेतु बाल गृह संचालिका को निर्देशित किया गया। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य, खान–पान, रहन–सहन के संबंध में जानकारी ली गई।

Let us sacrifice our today so that our children can have a better tomorrow.

.......A. P. J. Abdul Kalam

Celebrating World Day Against Child Labour (12.06.2021)

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आमजन को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम ना करा कर उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से दिनाँक 12.06.2021 को 'विश्व बाल श्रम निषेध दिवस' के अवसर पर एन.जी.ओं. एवं पैरा लीगल वालेंटियर्स के सहयोग से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। उक्त दिवस पर आयोजित शिविरों में बाल श्रम संबंधी कानून, चाईल्ड लाईन के टोल फ्री नंबर 1098, नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाए) योजना, 2015 के संबंध में जानकारी दी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा बचपन बचाओं आंदोलन के संयुक्त तत्वाधान में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर **''बाल श्रम को रोके बिना अधूरी है भारत की तरक्की''** विषय पर ऑनलाईन परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा के दौरान अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल मजदूरी की समस्या के कारण एवं बेरोजगारी के कारण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। जिला मंदसौर, नीमच एवं रतलाम में बच्चियों से करायी जाने वाली वैश्यावृत्ति को मिटाने के संबंध में आवश्यक प्रयास किये जाने का निर्णय लिया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा दिनांक 12.06.2021 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर पैरालीगल वालेंटियर्स एवं श्रम पदाधिकारी झाबुआ के सहयोग से बाजारों, कारखानों, होटल ढाबों के आस–पास के क्षेत्र में बाल मजदूरी के विरूद्ध जागरूकता अभियान चलाया गया। उक्त अभियान के दौरान राजमार्ग के एक ढाबे में 10 वर्ष के बालक को श्रम पदाधिकारी के सहयोग से मुक्त किया गया तथा बालक के माता–पिता से संपर्क कर विधि अनुसार कार्यवाही प्रारंभ कराई गई। उक्त दिवस पर आयोजित शिविरों के दौरान कारखानों, दुकानों पर भी जाकर मालिकों को बाल श्रमिक नहीं रखने, बच्चों से काम नहीं करवाने की समझाईस दी गई। इसके साथ ही बाल श्रम अधिनियम एवं इसके प्रावधानों के बारे में समझाया गया। बच्चों को कोरोना बचाव हेतु नि:शुल्क मास्क भी वितरित किये गये।

DLSA NEEMUCH

On the occasion of World Child labour Prohibition Day on 12th June 2021, an awareness program was organized by DLSA Neemuch in coordination with Child Helpline Neemuch and labour Department Neemuch. A large number of children and their parents and guardians participated in the program. District Coordinator of Child Helpline Shri Vikas Ahir and his team organized painting competition, chair race etc. The children were felicitated by Secretary District Legal Services Authority.

Secretary DLSA apprised the gathering that the objective of camp is to spread awareness about child labour and effects of labour on the Child's development, as it deprives his/her physical, moral, social and mental development and it also violates their fundamental rights. Awareness was also created about the Right to Education and free education by the government and in case of any legal aid the DLSA may be contacted for any assistance regarding admission in the school. District Coordinator of Child Helpline, expressed that the information about any child being forced to do unlawful labour be given to the child helpline on the free number 1098,During the camp awareness was created that it is illegal and a punishable offense tto employ children below 14 years of age in factories, shops, dhabas.

Fruits, biscuits etc. were distributed to all the children present. In the presence of the guests, the children planted trees around the nearby temple and took a pledge to take care of the trees. District Coordinator of Child Helpline, Counselor, Para Legal Volunteer of District Authority played an important role in making the program successful.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा विश्व बाल श्रम दिवस के अवसर पर बाल श्रम को रोकने एवं बाल श्रम में लगे बच्चों के उचित पुनर्वास व शिक्षा के लिए शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के संबंध में पैरालीगल वालेंटियर्स के साथ ऑनलाईन बैठक का आयोजन किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर द्वारा दिनांक बाल श्रम निषेध दिवस दिनांक 12/06/2021 को जिला विधिक सेवा बाल कल्याण समिति, चाईल्ड लाईन के सदस्यों एवं पैरालीगल वालेंटियर्स के मध्य नालसा बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक योजना के अंतर्गत ऑनलाईन कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में सचिव द्वारा बाल श्रम निषेध दिवस को मनाने के उद्देश्य एवं बाल श्रम रोकथाम, चाईल्ड लाईन, शिक्षा का अधिकारी आदि के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।

Keep your face always toward the sunshine - and shadows will fall behind you.

......Walt Whitman

अंतर्राष्ट्रीय बालश्रम निषेध दिवस पर कार्यक्रम आयोजित

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर शिविर का आयोजन

दैनिक स्वतंत्र सम... मध्यप्रदेश का तेजी से बढ़...

यदि छोटे बच्चों से काम करवाया तो 2 साल का क...

अंतर्राष्ट्रीय बालश्रम निषेध दिवस पर कार्यक्रम आयोजित

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर एकता कॉलोनी नीमच में शिविर का आयोजन

'बच्चों के अधिकारों का पूरी तरह से हनन है बाल श्रम'

मंडीदीप। श्रम बच्चों के बचपन को लूटता है। ये उनके अधिकारों का पूरी तरह उल्लंघन है। कोविड ने बच्चों को अधिक कमजोर बना दिया है। बच्चियों और विस्थापित बच्चों पर जोखिम ज्यादा है। स्कूल बंद, पैरेंट्स की मौत, किसी की नौकरी जाने, घर का माहौल गड़बड़ाने से बच्चों को बाल श्रम करना पड़ता है।

उपरोक्त विचार विश्व बाल श्रम निषेध सप्ताह के शुभारंभ पर पैरालीगल वॉलेंटियर अमित जैन ने रखे। उन्होंने कहा कि बाल श्रम रोकने अतिगरीबों से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर खुलकर बात करें। स्कूल खुलने पर सभी बच्चों को स्कूल भेजने और किसी बच्चे को परेशानी होने पर चाइल्ड लाइन 1098 पर तुरंत कॉल करने की समझाइश दें।

सुनहरे भविष्य के लिये बच्चों को शिक्षित किया जावे - ...

बुरहानपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सीडब्ल्यूसी, चाईल्ड लाईन के सदस्यों, एवं पैरालीगल वालेंटियर्स के मध्य बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक योजना के अंतर्गत बाल श्रम निषेध दिवस पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में नरेन्द्र पटेल सचिव/अपर जिला न्यायाधीश द्वारा बाल श्रम निषेध दिवस को मनाने के उद्देश्य एवं बाल श्रम रोकथाम के संबंध में महत्वपूर्ण प्रकाश डाला।

न्यायाधीश द्वारा बच्चों को उनके मौलिक अधिकार जैसे शिक्षा का अधिकार और विकास के लिये अन्य आवश्यक अधिकारों की जानकारी दी गई। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिये उन्हें शिक्षा दी जाना आवश्यक है। बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिकार के तहत सभी मिलकर शिक्षित करने का प्रयास करें।

सीडब्ल्यूसी के पूर्व सदस्य संदीप शर्मा द्वारा बताया कि 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत कार्य लिया जाना एक कानूनी अपराध है। 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को कानूनी शिक्षा का अधिकार है। यदि ... बाजार या अन्य ... वर्ष के कम आयु ... कार्य करते पाये ... इसकी सूचना 109... करें जिससे बालक... शिक्षा एवं बाल श्रम... रोका जा सकें। ... हरीश महाजन ... के सदस्यों द्वारा ... कार्यवाहियों के ... अवगत कराया। ... ओर से श्री राजेन्द्र ... किया कि चाईल्ड ... सदस्यों एवं पैरालीगल ... के सहयोग से बच्चों ... जानकारियां प्राप्त ... की जावेगी। ... वालेंटियर्स, सीड... सदस्य रजनी गड़ानी, ... सदस्यगण एवं ... उपस्थित रहें।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम निषेध दिवस पर हुई परिचर्चा में जिला न्यायाधीश पाण्डेय ने कहा

बाल मजदूरी के कारण बेरोजगारी और गरीबी को बढ़ावा मिल रहा है

Legal Services to Senior Citizen under NALSA Scheme

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुना

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा दिनांक 21.06.2021 को अपना घर वृद्धाश्रम में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में संस्था में निवासरत वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात कर उनका हाल जाना तथा उनके हितार्थ शासन की योजनाओं की जानकारी प्रदान की। उक्त शिविर में 26 वृद्धजन उपस्थित रहे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा दिनांक 12.06.2021 को बसेरा वृद्धाश्रम देवास में वृद्धजन के लिए ऑनलाइन माध्यम से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में वृद्धजन को उनके विधिक अधिकारों, विधिक सहायता एवं नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिये विधिक सेवाएं) योजना, 2016 एवं वृद्धजनों के हितार्थ शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा नालसा नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिये विधिक सेवाएं) योजना, 2016 के अंतर्गत दिनांक 11.06..2021 को श्री दादाजी वृद्धाश्रम, रामनगर, खण्डवा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया ।

Mediation

Spreading the concept of Mediation to the Community Level On World Environment Day

05th June 2021 was a landmark day for the Bengali Community (City Bengali Club Jabalpur) as it heralded the commencement of a community level Mediation Clinic inaugurated through online mode by Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava, Judge, MP High Court and Hon'ble Executive Chairman, MP State Legal Services Authority.

Under the guidance of Hon'ble the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh & Patron-in-Chief, MPSLSA has adopted the Community Mediation Programme. Community Mediation is a flagship programme of MP State Legal Services Authority and it offers simple, quick and easy resolution of disputes. It can be adopted for all civil disputes - family matters, in commercial differences, in joint ventures, partnership and professional liabilities, among many other kinds of disputes. Further, it enables parties to arrive at a win-win formula as there is no winner or loser and it offers confidentiality avoids hostility, restoration of trust between people.

With procedural flexibility as compared to court procedures, considerable time and money is saved.

मध्यस्थता केन्द्र से अपने विवाद खुद सुलझाएगा बंगाली समाज

कार्यालय संवाददाता, जबलपुर. बंगाली समाज अब अपने विवाद खुद सुलझाएगा। बंगाली समाज के सामुदायिक मध्यस्थता केन्द्र के माध्यम से यह संभव होने जा रहा है। मप्र हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज और मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने शनिवार को सिटी बंगाली क्लब में बंगाली समाज के मध्यस्थता केन्द्र का वर्चुअल शुभारंभ किया। शुभारंभ की घोषणा होते ही सिटी बंगाली क्लब के अध्यक्ष सुब्रत पाल ने दीप प्रज्वलित किया। इस मौके पर जिला न्यायाधीश नवीन कुमार सक्सेना भी मौजूद थे। प्राधिकरण की सदस्य-सचिव गिरिबाला सिंह ने बताया कि सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम विवादों का सरल तथा त्वरित निराकरण कराता है। कार्यक्रम में सुब्रत पाल, प्रकाश शाह, डॉ. समीर मित्रा, सुमाना चटर्जी, सुजाता मजुमदार आदि उपस्थित थे। पी-4

Sun, 06 June 2021
दैनिक भास्कर https://epaper.bhaskarhindi.com/c/60944

The programme was addressed by the trainers namely Member Secretary MPSLSA and Secretary High Court Legal Services Committee, Jabalpur while participants shared their training experience. Shri Naveen Kumar Saxena, District Judge Jabalpur, Shri Manoj Kumar Singh Additional Secretary, Shri Arvind Shrivastava, Deputy Secretary, Shri Zeeshan Khan, Shri Mohammad Jilani, Shri Jitendra Mohan Dhurve, District Legal Aid Officers also were present in the inauguration program.

The inaugural was also marked with observing World Environment Day through tree plantation by Members of the Bengali Community headed by President of City Bengali Club Mr. Subrata Pal in presence of Secretary Mr. Prakash Shah, Dr. Sameer Mitra, Mrs. Sumana Chatterjee and other dignitaries. Certificates were also distributed to respective 15 trained participants of Bengali community.

मध्यस्थता केंद्र का ई-उद्घाटन

जबलपुर. मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सामुदायिक स्तर पर मध्यस्थता की संकल्पना का प्रचार किया। इसके तहत बंगाली समुदाय के लिए आयोजन हुआ। कार्यपालक अध्यक्ष हाई कोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव के मुख्य आतिथ्य में सिटी बंगाली क्लब, करमचंद चौक में बंगाली समुदाय के मध्स्थता केंद्र का ई-उद्घाटन किया गया। इस दौरान जिला सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार सक्सेना, प्राधिकरण की सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह, अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार सिंह, उप सचिव अरविंद श्रीवास्तव मौजूद रहे।

At the Office of MP State Legal Services Authority 574, South Civil Lines Jabalpur, PPE Kits donated by Narmada Gelatin Company were handed over to Dr. C.B. Arora Civil Surgeon Govt. Victoria Hospital Jabalpur while Officers/officials of MPSLSA along with of Dr. Sanjay Jain and Dr. KK Verma also planted trees.

मीडिएशन के लिए मामले रेफर करेगा पुलिस महिला हेल्प डेस्क

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, म0प्र0 उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के मार्गदर्शन तथा माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायाधिपति, म0प्र0 उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के दिशा–निर्देश में म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा ऊर्जा हेल्प डेस्क को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किये जाने हेतु **दिनांक 09 से 11 जून 2021** तक तीन दिवसीय ऑन लाइन मीडिएशन प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिला हेल्प डेस्क तथा डायल 100 पर महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के संबंध में प्राप्त शिकायतों व विवादों को कम्युनिटी मीडिएशन वालेन्टियर द्वारा मीडिएशन प्रकिया के माध्यम से न्यायोचित निराकरण के उद्‌देश्य से म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न जिलों के महिला हेल्प डेस्क प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारियों को सम्मिलित किया गया था ।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम निश्चित ही एक सराहनीय पहल होगी जिससे महिला हेल्प डेस्क की स्थापना का उद्‌देश्य भी सार्थक होगा । पुलिस महिला हेल्प डेस्क पर विवाद आने की स्थिति में मीडिएशन योग्य मामलों को कम्युनिटी मीडिएशन वालेंटियर को रेफर किया जाएगा । इसी संदर्भ में मीडिएशन प्रकिया के मूलभूत प्रावधानों से अवगत कराने के लिये यह ऑन लाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया । म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं महिला अपराध शाखा के समन्वय के परिणामस्वरूप यह प्रशिक्षण कार्यक्रम नारी सशक्तीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है ।

Mediation Awareness Programme

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन द्वारा दिनांक 12.06.2021 को जिला स्तरीय मीडिएशन मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक एवं मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में विशेष न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रजिस्ट्रार जिला न्यायालय एवं अन्य न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण व मीडिएटर्स उपस्थित रहे। शिविर में मीडिएशन एवं कंसीलिएशन में अंतर, रेफरल में सावधानी विषय पर विस्तृत जानकारी दी। सचिव, द्वारा मीडिएशन प्रकरणों का मासिक एवं पाक्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया एवं प्रकरण रेफर करने की प्रक्रिया एवं मीडिएशन रूल्स 2016 के बारे में जानकारी दी गई और इस प्रक्रिया के तहत अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किये जाने की अपील की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होशंगाबाद

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होशंगाबाद द्वारा दिनांक 12.06.2021 को ऑनलाइन माध्यम से मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समस्त पैरालीगल वालेंटियर्स को मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण एवं बाल श्रम दिवस के उपलक्ष्य में बाल श्रम से संबंधित कानूनी जानकारी प्रदान की गई।

Glimpses of Mediation Awareness Programme

DLSA JHABUA

DLSA KHANDWA

DLSA MANDLESHWAR

DLSA BURHANPUR

DLSA PANNA

DLSA NARSINGHPUR

Media News.....

मध्यप्रदेश में आम आदमी को न्याय दिलाने के लिये सबसे अच्छी शुरुआत भोपाल-जबलपुर से : छुटपुट विवादों से जुड़ी शिकायतें निपटाने की कोशिश

डॉयल 100 में आने वाली मामूली शिकायतों विवादों का अब मध्यस्थता से होगा समाधान

जबलपुर | DBStar

मध्यप्रदेश में न्याय दिलाने की एक नई और सकारात्मक पहल की शुरूआत संस्कारधानी जबलपुर और प्रदेश की राजधानी भोपाल से शुरू हो रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो यह पहल पूरे प्रदेश में काम करती हुई दिखाई देगी। प्रयोग के तौर पर इन दो जिलों में इसका संचालन अगले कुछ ही दिनों में चालू हो जाएगा। यह पहल मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा शुरू की जा रही है। जिसके तहत डॉयल 100 पर पहुंचने वाले मामूली विवादों, महिला संबंधी अपराधों से लेकर छोटे विवादों को पुलिस थाना की दहलीज के बाहर ही मध्यस्थता के माध्यम से निपटाया जाएगा। ताकि परिवार टूटने से बचें और विवाद में समझौता हो सके। ऐसे मामलों को ऑनलाइन ही मिडिएटर के माध्यम से एक सप्ताह के अंदर सुलझाने की कोशिश होगी। इतना ही नहीं ऐसे मामलों की मध्यस्थता की पूरी रिपोर्ट तक तैयार होगी। जिसका पूरा सिस्टम तैयार किया गया है।

डॉयल 100 में आती है घरेलू मामलों की शिकायतें/

अब कोई भी विवाद हो या कोई भी वारदात हो हर एक सूचना लोग डॉयल 100 को देते हैं। कई बार देखने में आता है कि मामूली विवादों में भी कॉल करके पुलिस को बुला लिया जाता है। मामला पुलिस थाना पहुंचता है तो बिना संवाद ही एफआईआर तक कहानी पहुंच जाती है। कई बार आपसी घरेलू मामलों में भी जिन में समझौता हो सकता है। संवाद से बात सुलझ सकती है वह मामले भी बिना संवाद किये थाना से कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। इसलिए अब ऐसे मामूली झगड़े, छोटे मोटे विवादों को इस नई पहल के माध्यम से मध्यस्थता करके हल किया जा सकेगा।

ऊर्जा डेस्क की रहेगी अहम् भूमिका

थानों में महिलाओं से संबंधित अपराधों की सुनवाई के लिए ऊर्जा डेस्क बनाई गई है। अब इस नई पहल के तहत इनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। वहां पर भी आने वाले मामलों की मध्यस्थता ऑनलाइन की जाएगी। महिला अपराध को निपटाने की दिशा से भी इन मिडिएटर्स को जोड़ा जाएगा। मिडिएटर्स के पास दो से तीन दिन ही मामला रहेगा।

ऑनलाइन होगी मध्यस्थता की प्रक्रिया

मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने वैसे तो इस प्रक्रिया को प्रारंभिक तौर पर जबलपुर भोपाल से शुरू कर रही है। लेकिन तैयारी प्रदेश के हर जिले में भी हो रही है। जहां पर दो से तीन मिडिएटर वॉलंटियर्स तैयार किए हैं। इनमें रिटायर्ड जज, आईपीएस, समाजसेवी, अधिवक्ता आदि को शामिल किया गया है। डॉयल 100 पर आने वाले शिकायती कॉल को पहले इन मिडिएटर्स के पास फॉरवर्ड किया जाएगा। मिडिएटर्स दोनों पक्षों से चर्चा करने के बाद रिपोर्ट थाने और डायल 100 को भेजेंगे। ताकि विवाद में समझौता हो सके। फिलहाल मिडिएटर्स ये काम मोबाइल फोन या वीडियो कॉल की मदद से करेंगे।

मामूली विवादों की बढ़ रही संख्या

किसका विवाद किससे हो जाये यह कहा नहीं जा सकता। मामूली मामले भी जो संवाद से हल हो सकते हैं वह भी थाना पहुंच जाते हैं। देखने में आया है कि मामूली मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। जबलपुर में हर साल घरेलू विवाद के मामले बढ़ रहे हैं। जिसमें पति-पत्नि के बीच विवादों से लेकर, घरेलू विवाद, पड़ोसियों के बीच होने वाले झगड़े, एक्सीडेंट मामले, किरायादार और मकान मालिक के बीच होने वाले विवाद आदि की संख्या बढ़ रही है।

मध्यस्थता से हल होंगे मामूली मामले

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा छोटे विवादों को थाने के बाहर मध्यस्थता के माध्यम से हल करने के लिए प्रदेश में यह पहल शुरू की जा रही है। अभी जबलपुर और भोपाल में यह प्रक्रिया चालू की जा रही है। इसके बाद प्रदेश के अन्य जिलों में इसे चालू किया जाएगा। हमारी पूरी तैयारी हो गई है। पुलिस कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है।

गिरीबाला सिंह, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

www.readwhere.com

मध्यस्थता जागरूकता शिविर ऑनलाईन आयोजित

आचरण, गुना। प्रशिक्षित मध्यस्थों को वास्तविक एवं सार्थक प्रयास के साथ मध्यस्थता कार्यवाही संपादित करना होगी। तभी मध्यस्थता प्रक्रिया से सफल मामलों की संख्या को गति मिलेगी और तभी मध्यस्थता जैसी सरल एवं निष्पक्ष प्रक्रिया का लाभ अधिकतर पक्षकारों को प्राप्त हो सकेगा। उक्त विचार प्रधान जिला न्यायाधीश राजेश कुमार कोष्टा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित मध्यस्थता जागरूकता शिविर में व्यक्त किए। साथ ही श्री कोष्टा ने शीघ्र ही मध्यस्थता प्रकरणों की सुनवाई के लिए प्रशिक्षित न्यायाधीश मध्यस्थतों की ड्यूटी प्रत्येक शनिवार को मीडिएशन सेंटर में लगाये जाने की बात भी कही। कार्यक्रम में न्यायाधीशगण धरमिंदर सिंह, एके मिश्र, रवि प्रकाश जैन, प्रदीप दुबे, हर्ष सिंह बहरावत, सचिन कुमार घोष द्वारा भी मध्यस्थता प्रक्रिया के संबंध में अपने विचार रखे गये। इस अवसर पर संजय चतुर्वेदी, शशांक खरे, राकेश कुमार, प्राची पाण्डेय सहित अन्य न्यायाधीशगण ऑनलाईन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन दीपक शर्मा ने किया।

Tue, 22 June 2021

सार्थक प्रयास से ही मध्यस्थता को मिलेगी गति : कोष्टा

गुना, देशबन्धु। प्रशिक्षित मध्यस्थों को वास्तविक और सार्थक प्रयास के साथ मध्यस्थता कार्यवाही संपादित करना होगी। तभी मध्यस्थता प्रक्रिया से सफल मामलों की संख्या को गति मिलेगी और तभी मध्यस्थता जैसी सरल एवं निष्पक्ष प्रक्रिया का लाभ अधिकतर पक्षकारों को प्राप्त हो सकेगा। उक्त विचार प्रधान जिला न्यायाधीश राजेश कुमार कोष्टा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित मध्यस्थता जागरूकता शिविर में व्यक्त किए। साथ ही श्री कोष्टा ने शीघ्र ही मध्यस्थता प्रकरणों की सुनवाई के लिए प्रशिक्षित न्यायाधीश मध्यस्थतों की ड्यूटी प्रत्येक शनिवार को मीडिएशन सेंटर में लगाये जाने की बात भी कही। कार्यक्रम में न्यायाधीशगण धरमिंदर सिंह, एके मिश्र, रवि प्रकाश जैन, प्रदीप दुबे, हर्ष सिंह बहरावत, सचिन कुमार घोष द्वारा भी मध्यस्थता प्रक्रिया के संबंध में अपने विचार रखे गये। इस अवसर पर संजय चतुर्वेदी, शशांक खरे, राकेश कुमार, प्राची पाण्डेय सहित अन्य न्यायाधीशगण ऑनलाईन उपस्थित रहे।

मध्यस्थता जागरूकता शिविर में दी प्रकरणों की जानकारी

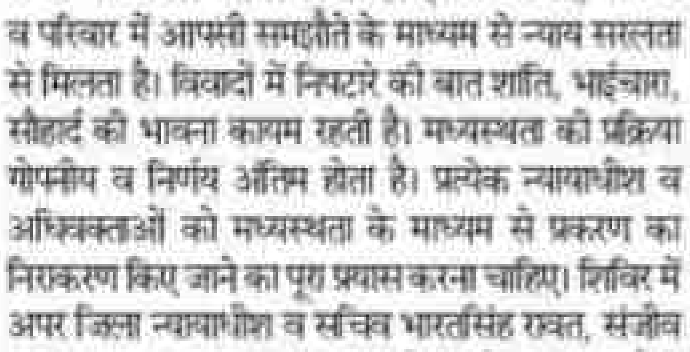

मंडलेश्वर | जिला न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष अजय प्रकाश मिश्र के मार्गदर्शन में शनिवार को एडीआर भवन में मध्यस्थता जागरूकता शिविर लगाया। जिला न्यायाधीश ने कहा- मध्यस्थता वर्तमान समय की प्रबल आवश्यकता है। इससे व्यक्ति, समाज व परिवार में आपसी समझौते के माध्यम से न्याय सरलता से मिलता है। विवादों में निपटारे की बात शांति, भाईचारा, सौहार्द की भावना कायम रहती है। मध्यस्थता की प्रक्रिया गोपनीय व निर्णय अंतिम होता है। प्रत्येक न्यायाधीश व अधिवक्ताओं को मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरण का निराकरण किए जाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। शिविर में अपर जिला न्यायाधीश व सचिव भारतसिंह रावत, संजीव कुमार गुप्ता, अरुण कुमार खरादी, संगीता डावर मौर्य, एके मण्डिवाल, रोबिन दयाल, कार्तिक जोशी, रुपेश शर्मा, एचआर कानूनगो, सुदर्शन जोशी, निशा कौशल, गोपाल ताम्रकर, लवकेश हिरवे, सोनू ठाकुर व अन्य मौजूद थे।

पत्रिका खंडवा

डिस्ट्रिक्ट अपडेट

बैठक

आपसी विवाद खत्म करने मध्यस्थता एक बेहतर रास्ता

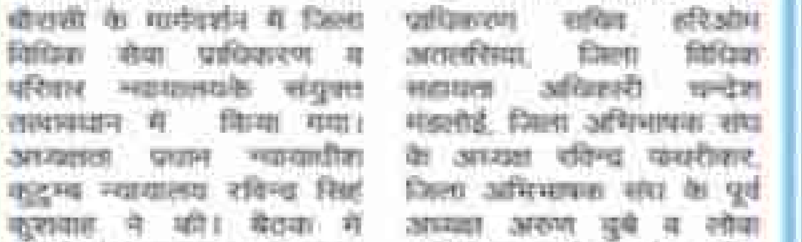

खंडवा @ पत्रिका. एडीआर सेंटर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में शनिवार को मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम व मध्यस्थता मॉनिटरिंग समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष एलडी बौरासी के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व परिवार न्यायालय के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय रविन्द्र सिंह कुशवाह ने की। बैठक में अतिथियों ने मध्यस्थता के संबंध में विचार व्यक्त किए तथा मध्यस्थता के माध्यम से अधिक से अधिक न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण कराने के संबंध में चर्चा की।

इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश प्रकाश चन्द्र आर्य, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश किरण सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव हरिओम अतलसिया, जिला विधिक सहायता अधिकारी चन्द्रेश मंडलोई, जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष रविन्द्र पचौरीकर, जिला अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष अरुण दुबे व लोक अभियोजक सुनील चन्देल सहित कर्मचारी उपस्थित थे।

Lok Adalat Programmes

Preparation of National Lok Adalat dated 10.07.21

Online meeting organized under the chairmanship of Hon'ble Executive Chairman for monitoring of National Lok Adalat and other subjects.

On 22.06.2021 under the able guidance of Hon'ble Chief Justice and Patron-in- Chief, an online meeting was organized under Chairmanship of Hon'ble Justice Shri Prakash Shrivastava Executive Chairman, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, Jabalpur.

TheHitavada

Jabalpur City Line | 2021-06-23 | Page-4
ehitavada.com

MPLSA holds online meet to monitor National *Lok Adalat*

■ Staff Reporter

THE Madhya Pradesh State Legal Services Authority (MPLSA) has on Tuesday organised an online meeting under the guidance of Chief Justice and Patron-in-Chief, Justice Mohammad Rafiq and Justice Prakash Shrivastava Executive Chairman, MPSLSA for monitoring of National *Lok Adalat* and other allied subjects.

During the meeting, necessary directions were given by the Executive Chairman regarding successful organization and disposal of maximum number of cases in the upcoming National *Lok Adalat*.

As per the direction of National Legal Services Authority, New Delhi, the ensuing National Lok Adalat is to be organised on July 10, in which all types of compoundable civil and criminal pending cases including pre-litigation, bank recovery related matters, matters related to labour disputes, electricity and water tax/bill related matters (only compoundable cases) etc. will be taken up.

In National *Lok Adalat* the parties will be able to resolve their disputes amicably through mutual consent. The National Lok Adalat will be organized at High Court, District Courts/Taluka Courts, Labour Courts, Family Courts.

Apart from that, directions were also given for conducting blood donation camp on June 26, detailed instructions regarding training programmes of panel advocates and PLVs, taking effective steps for speedy filing of appeals for prisoners, early redressal of cases of children residing in Observation Homes, timely feeding of information on NALSA portal etc.

During the meeting, Member Secretary Giribala Singh, Additional Secretary Manoj Kumar Singh, Deputy Secretary Arvind Shrivastava, Legal Aid Officers Zeeshan Khan and Jitendra Mohan Dhurve were also present.

Powered by Bharati Web Pvt Ltd

In the meeting, necessary directions were given by the Hon'ble Executive Chairman regarding successful organization and disposal of maximum number of cases in the upcoming National Lok Adalat.

Apart from this an online meeting of all the government departments in the State of Madhya Pradesh was organized on 24.06.2021 under Chairmanship of Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava Executive Chairman, Madhya Pradesh State Legal Services Authority for successful organization of National Lok Adalat through maximum disposal of cases.

The said meeting was attended by ACS and Principal Secretary level officer of departments including Home, Health Department, Finance Department, General Administration Department, Women and Child Development Department, Law and Legislative Affairs, Energy Department, Labor Department, Revenue Department, Transport Department, Cooperative Department, Urban Development Department, Panchayat Rural

Development Department, Director General, Prisons, Director Public Prosecution, officers of the state were present.

As per the direction of National Legal Services Authority, New Delhi, the upcoming National Lok Adalat is to be organized on **10th July, 2021**, in which all types of compoundable Civil and Criminal cases including Pre-litigation, Bank recovery, Labor Disputes, electricity and water tax/bill (only compoundable matters) etc. will be placed in which the parties will be able to make efforts to resolve the matters by mutual conciliation and consent in a cordial atmosphere. The said National Lok Adalat will be organized from High Court level to District Courts/Taluka Courts, Labor Courts, Family Courts.

Apart from this, in the meeting, directions were also given for conducting blood donation camp effectively on 26.06.2021, detailed instructions regarding training programmes of panel advocates & PLVs, taking effective steps for speedy filing of appeals for prisoners, early redressal of cases of children residing in Observation Homes, timely feeding of information on NALSA portal etc.

DLSA KHANDWA

DLSA HOSHANGABAD

DLSA BURHANPUR

DLSA RAJGARH

DLSA NARSINGHPUR

DLSA HARDA

DLSA GUNA

DLSA SEHORE

DLSA DAMOH

DLSA HARDA

न किसी की जीत, न किसी की हार

लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा प्रकरण रखे जाएँ

कार्यालय संवाददाता, जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट प्रशासनिक जज और मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिक के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव निर्देश दिया कि 10 जुलाई को होने वाली नेशनल लो अदालत में ज्यादा से ज्यादा प्रकरण रखे जाएँ। इस साथ ही प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति आधार पर किया जाए। कार्यपालक अध्यक्ष ने यह निर्दे ऑनलाइन समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में कहा ग कि 26 जून को प्रस्तावित रक्तदान शिविर का प्रचा प्रसार किया जाए। बैठक में पैरालीगल वॉलेंटिय पैनल अधिवक्ताओं के लंबित बिलों का भुगतान ज करने के निर्देश दिए गए। पैनल अधिवक्ताओं प्रशिक्षण और बंदियों की अपील को जल्द प्रस्तुत क के लिए कहा गया है। बैठक में प्राधिकरण की सद सचिव गिरिबाला सिंह, अतिरिक्त सचिव मनोज कु

नेशनल लोक अदालत की तैयारी की ऑनलाइन समीक्षा

कार्यालय संवाददाता, जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज और मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने 10 जुलाई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की ऑनलाइन समीक्षा की। जस्टिस श्रीवास्तव ने कहा कि लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जाए। समीक्षा बैठक में पैरालीगल वॉलेंटियर्स व पैनल अधिवक्ताओं के लंबित बिलों के भुगतान, पीएलवी व पैनल अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण, कार्यक्रम, बंदियों की अपील यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

Fri, 25 June 2021
https://epaper.bhaskarh

ऑनलाइन बैठक में ने लोक अदालत की समी

जबलपुर@ पत्रिका. मध्य प्रदेश राज्य विधिक से के कार्यपालक अध्यक्ष व मध्य प्रदेश हाईकोर्ट न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में अ लोक अदालत की समीक्षा सहित अन्य विष ऑनलाइन बैठक हुई। अतिरिक्त सचिव मनोज बताया कि कार्यपालक अध्यक्ष ने नेशनल लोक अधिक से अधिक प्रकरणों के परस्पर सहमति से लेकर दिशा-निर्देश जारी किए। साथ ही 26 जून रक्तदान शिविर को लेकर भी निर्देश दिए। पैरालीग व पैनल अधिवक्ताओं के लम्बित बिलों के भुगता पैनल अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण, कार्यक्रम, बंदि यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। बाल निवासरत बच्चों के प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, सेवा प्राधिकरण के पोर्टल पर जानकारियों की सम आदि के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। इस सचिव गिरिबाला सिंह, उप सचिव अरविंद श्रीवा सहायता अधिकारी जीशान खान व जीतेंद्र मोहन

नेशनल लोक अदालत 10 जुलाई को, न्यायाधीशगणों की बैठक आयोजि

सूत्र अपडेट, बुरहानपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष/प्रभारी जिला न्यायाधीश श्री के.एस. बारिया एवं प्रधान न्यायाधीश श्री एस.पी. तिवारी के मार्गदर्शन में एकल बेंच और मीडिएशन के अंतर्गत मध्यस्थता के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण एवं ऐसी करने के संबंध में हेतु वीडियो कान्फ्रेंसिंग हॉल में सभी न्यायाधीशगणों के मध्य बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में मध्यस्थता हेतु रोस्टर प्रणाली पर चर्चा की गई एवं प्रकरणों को सफलतापूर्वक निराकृत करने हेतु निर्देशित किया गया। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री नरेन्द्र पटेल ने मध्यस्थता कार्यवाही एवं आगामी लोक अदालत के संबंध में चर्चा की। दिनांक 10 जुलाई 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में राजीनामा प्रकरणों को शीघ्र चिन्हित करने उनके पक्षकारों के मध्य प्री करवाने तथा सूचना पत्र करवाये जाने हेतु चर्चा प्रीलिटिगेशन प्रकरणों को रखे हेतु भी अवगत कराया गया। म द्वारा समस्त न्यायाधीशगणों मध्यस्थता कार्यवाही में अधि अधिक प्रकरणों के समक्ष विवादों के निराकरण के किये जाने तथा आगामी अदालत में अधिक प्र निराकृत करने के प्रयास किये का आह्वान किया गया, कि पक्षकारों के मध्य विवादों का हो और सौहार्दपूर्ण वाता निर्मित हो। बैठक में अपर न्यायाधीश श्री राकेश कुमार द्वि राकेश कुमार पाटीदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री धीरेन्द्र सम्बन्धी एवं अन्य न्यायाधी उपस्थित रहे।

लोक अदालत में होगा राजीनामा के योग्य मामलों का निराकरण

दस जुलाई को होगा आयोजन, तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित

ताप्ती दर्शन, बैतूल

जिले के प्रधान जिला न्यायाधीश अफसर जावेद खान की अध्यक्षता में बुधवार को जिला अधिवक्ता संघ के सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राजीव कुमार कर्मा, प्रधान विशेष न्यायाधीश राकेश मोहन प्रधान, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आदेश कुमार मालवीय सहित अधिवक्ता उपस्थित रहे।

बैठक में जिला न्यायाधीश श्री खान ने जानकारी दी कि आगामी 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन सम्पूर्ण जिले में किया जा रहा है। इस नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक, सिविल, धारा 138, चेक बाउंस के मामले, भरण-पोषण, वैवाहिक, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा विद्युत की चोरी से संबंधित प्रकरणों तथा अन्य प्रकरणों का निराकरण दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में आपसी राजीनामे से किया जाएगा। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से आह्वान किया कि वे इस नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने में सहयोग प्रदान करें। बैठक में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बीके पाण्डेय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व अन्य न्यायाधीश भी उपस्थित रहे।

लोक अदालत 10 जुलाई को, जिला न्यायाधीश ने ली बैठक

सत्ता सुधार, गुना

इस वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत 10 जुलाई को जिला स्तर पर एवं तालुका न्यायालय चांचौड़ा, राघौगढ़, आरोन में आयोजित होगी। लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में राजेश कुमार कोष्टा प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा जिला मुख्यालय के न्यायिक अधिकारियों की बैठक ली। जिसमें उन्होंने सभी न्यायाधीशों को व्यक्तिगत रूचि लेकर नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण कराए जाने के प्रयास किए जाने हेतु निर्देशित किया। इस अवसर पर न्यायाधीशगण धरमिन्दर सिंह राठौड़, काशिफनदीम खान, एके मिश्र, जिला जज संजय चतुर्वेदी, अश्फाक अहमद खान, वर्षा शर्मा, हर्षसिंह बहरावत, प्रदीप कुमार दुबे, सचिन कुमार घोष, मोनिका आध्या, मुनेंद्र सिंह वर्मा, जिला रजिस्ट्रार तनवीर खान, एमके वर्मा, भूपेन्द्र सिंह कुशवाह, नितिन वर्मा, अमोघ अग्रवाल, ऋचा द्विवेदी, प्रीति परिहार, बृजेश कुशवाह आदि उपस्थित रहे।

TheHitavada

ur City Line | 2021-06-25 | Page-
ehitavada.com

BRIEFS

Online meet of all Govt deptts for *Lok Adalat* held

■ Legal Correspondent

AN ONLINE meeting of all government departments in the State was organised under the guidance of Justice Mohammad Rafiq, Chief Justice and Patron-in-Chief, Madhya Pradesh State Legal Services Authority and Chairmanship of Justice Prakash Shrivastava Executive Chairman, MPSLSA for successful organisation of National *Lok Adalat* through maximum disposal of cases.

The meeting was attended by ACS and Principal Secretary level officer of departments including Home, Health Department, Finance Department, General Administration Department, Women and Child Development Department, Law and Legislative Affairs, Energy Department, Labor Department, Revenue Department, Transport Department, Cooperative Department, Urban Development Department, Panchayat Rural Development Department, Director General, Prisons, Director Public Prosecution etc.

As per the direction of National Legal Services Authority, New Delhi, the ensuing National Lok Adalat would be organised on July. 10, in which all types of compoundable Civil and Criminal cases including Pre-litigation, Bank recovery, Labor Disputes, electricity and water tax, bill (only compoundable matters) etc. would be placed. The parties would be able to make efforts to resolve the matters by mutual conciliation and consent in a cordial atmosphere. The National Lok Adalat would be organized from High Court level to District Courts/Taluka Courts, Labor Courts, Family Courts.

Powered by Bharati Web Pvt Ltd

Celebrating World Environment Day (05.06.2021)

It is to bring to kind notice that 05th June 2021 commenced with addressing Secretaries of all DLSAs with a view to analyze the work done over the last year, areas which would need improvement and steps to be taken to mark the World Environment Day 2021keeping in view the local needs of the concerned district.

It was resolved that all DLSAs shall undertake intensive collaboration with the Forest Department and other government functionaries to ensure that awareness and implementation of government policies on environment protection are conducted in such manner that an equilibrium is maintained in protecting rights not only of the local population especially tribals but also environmental needs.

It is apt to mention that Madhya Pradesh has adopted the 'Panch J' concept namely conservation of Jal (Water), Jungle (Forest), Jameen (Land), Jan (People) and Jaanwar (Animals) as an essential step in maintaining the ecosystem along with addressing needs of those persons whose livelihood is dependent on environment. This scheme has been taken up keeping in view the guidelines under NALSA- (Effective implementation of Poverty alleviation) Scheme 2015 & (Protection & Enforcement of Tribal Rights) Scheme 2015.

The government has been requested to appoint Nodal Authorities upto the Taluka Level for concentrating on positive environmental outcomes such as ground water recharge, soil protection, water and biodiversity conservation, sustainable food production. Apart from this it has been resolved that issues of land degradation shall be examined and efforts shall be made to build local resilience to the effect of climate change such as moisture stress, delayed outset of rainfall, droughts and floods.

The *Nandan Phal Scheme* for plantation of fruit bearing trees and *Kapil Dhara Scheme* for rejuvenating water bodies has been planned along with measures for water conservation and water harvesting, horticulture plantation on land owned by SC,ST, BPL, Small Farmers and Marginal Farmers, renovation of traditional water bodies including distilling of tanks, drought proofing (including afforestation).

The focus has been on spreading awareness on three (3) "R"s - Reduce, Reuse & Recycle, composting of food waste and enriching the soil, choosing reusable over single-use, creativity through up-cycling , taking care of animals, wildlife as they are an integral part of the ecosystem- any break in the food-chain leads can be counter-productive.

The World Environment Day 05th June 2021 was marked with online inauguration of Bengali Community Mediation Centre by Hon' ble the Executive Chairman MPSLSA and a tree plantation programme at the Centre.

Online Inauguration of Bengali Community Mediation Centre by Hon'ble Executive Chairman

Tree Plantaiton by Members of Bengali Community

At the Office of MP State Legal Services Authority, PPE Kits along with Masks and Handgloves were donated by Narmada Gelatin Company were handed over to Civil Surgeon Govt. Victoria Hospital Jabalpur and the Officers/officials of the Victoria Hospital participated with MPSLSA for tree plantation.

Handing Over PPE Kits & Tree Plantation at MPSLSA

Cleaning the banks of the River Narmada DLSA-DHAR

Online Programme with participating government authorties by DLSA JHABUA along with tree plantation drive

Glimpses of Tree Plantation Acitivities by other DLSAs

DLSA ALIRAJPUR

DLSA ANUPPUR

DLSA ASHOKNAGAR

DLSA BALAGHAT

DLSA RAJGARH

DLSA BETUL

DLSA BURHANPUR

DLSA CHHATARPUR

DLSA CHHINDWARA

DLSA GUNA

DLSA HARDA

DLSA HOSHANGABAD

DLSA SEONI

DLSA KATNI

DLSA KHANDWA

DLSA MANDLA

DLSA MANDLESHWAR

DLSA MANDSAUR

DLSA JABALPUR

DLSA SHEOPUR

DLSA NEEMUCH

DLSA PANNA

Environment is a gift to us, save and secure it.

........Anynomous

FROM THE PRINT & ELECTRONIC MEDIA

पर्यावरण संरक्षण • आनलॉइन परिचर्चा में जुड़े जिला जज, शिक्षक और पर्यावरणविद

महामारियों को जन्म देता है पर्यावरण का असंतुलन

परिचर्चा में पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा की

विश्व पर्यावरण दिवस पर जिलेभर में हुए पौधारोपण के कार्यक्रम

विश्व पर्यावरण दिवस पर किया पौधारोपण

नेपानगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में नेपानगर थाने में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में अनुविभाग नेपानगर के सभी अधिकारियों ने पहुंचकर थाना परिसर में पौधारोपण किया। विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वालंटियर डॉक्टर एलएल लौवंशी ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्ग दर्शन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने जागरूकता फैलाने की बात कही जिसके तहत हमारे द्वारा थाना परिसर में पौधारोपण कर आस-पास के रहवासियों को पौधे लगाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि हमने थाना परिसर में काम करने वाले स्टाफ से भी पौधों की रक्षा करने का अपील की। इस दौरान एसडीएम दीपक चौहान, तहसीलदार सुंदरलाल ठाकुर, एसडीओपी यशपाल सिंह ठाकुर, सीएमओ राजेश मिश्रा, थाना प्रभारी एलएस लौवंशी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

लगभग 30 गांवों में हुआ पौधारोपण

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश जोशी के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर लगभग 48 पैरालीगल वालंटियर्स ने 100 से अधिक पौधे लगाए। जिन्हें सचिव‌अपर जिला न्यायाधीश राजेन्द्र सिंह ठाकुर एवं डॉण् वीरेन्द्र कुमार चढ़ारए जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा जूम एप के माध्यम से पौधारोपण कराया गया एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पर्यावरण के लाभ एवं कोविड.19 के समय में पर्यावरण की उपयोगिता समझाई गई। इसके बाद एडीआर सेंटर अशोकनगर कार्यालय परिसर में पीपलए बरगदए नीम के पौधों को त्रिवेणी के के रूप में लगाया गया। इस अवसर पर समस्त पैरालीगल वालेंटियर्स को पर्यावरण संवर्धन और संरक्षण के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पैरालीगल वालेंटियर्स विजया आवालए प्रतिभा जैनए प्रतिभा शर्माए बालकुमारी सिरसैए वंदना वैद्यए गुलनाज बानोए मंजू सातवए नम्रता नायकए सोनम शर्माए शिवानी कौशलए रूपाली सुमनए अर्चना शर्माए राजू पारदीए दशरथ सिंह जाटवए मोती सिंहए संदीप सोपराए पवन केवटए मनीष रघुवंशीए धर्मराजसिंह रघुवंशीए कुमार संभवए रजनी शर्मा आदि ने पौधारोपण किया।

खंडवा

प्राणवायु के लिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी घर-आंगन में पौधे लगाने का संकल्प लें

पीपल का पौधा लगाने की अपील की

कम होती सांसों के लिए सभी को पौधरोपण करना बेहद जरूरी

विश्व पर्यावरण दिवस • जगह-जगह हुए कार्यक्रम, तो कहीं आनलाइन कार्यशाला में बताया पौधे लगाने का महत्व

कोरोना ने समझाया पेड़ों का महत्व, संकल्प लें कि जीवन में 10 पौधे जरूर लगाएंगेः मुख्य न्यायाधीश

रोटरी क्लब ने हनुमान टेकरी पर पौधरोपण कर मनाया विश्व पर्यावरण दिवस

न्यायालय परिसर में पौधारोपण कर लिया सुरक्षा का संकल्प

उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई जारी

Blood Donation Camp (26.06.2021)

Campaign by Legal Services Institutions replenishes blood banks by 3000 units in a single day.

Under the able guidance of Hon'ble the Chief Justice and Patron in Chief, Madhya Pradesh State Legal Services Authority Justice Shri Mohammad Rafiq, a blood donation campaign was launched throughout the State in coordination with health department.

Online Inauguration of Blood Donation Campaign by Hon'ble Executive Chairman

The programme commenced with the online inauguration on 26.06.2021 at 10:00 am by Hon'ble the Executive Chairman, Shri Justice Prakash Shrivastava Chairman DLSA who enlighten the gathering on the relevance of blood donation both for the donor and the donee. District Judge Indore reflected on the detailed preparation prior to the event while district legal aid officer Deepak Sharma who has earlier donated blood more than 40 occasions expressed his views on the reasons for his motivation for donation. The Director Health Services delivered the vote of thanks with a special mention of the huge

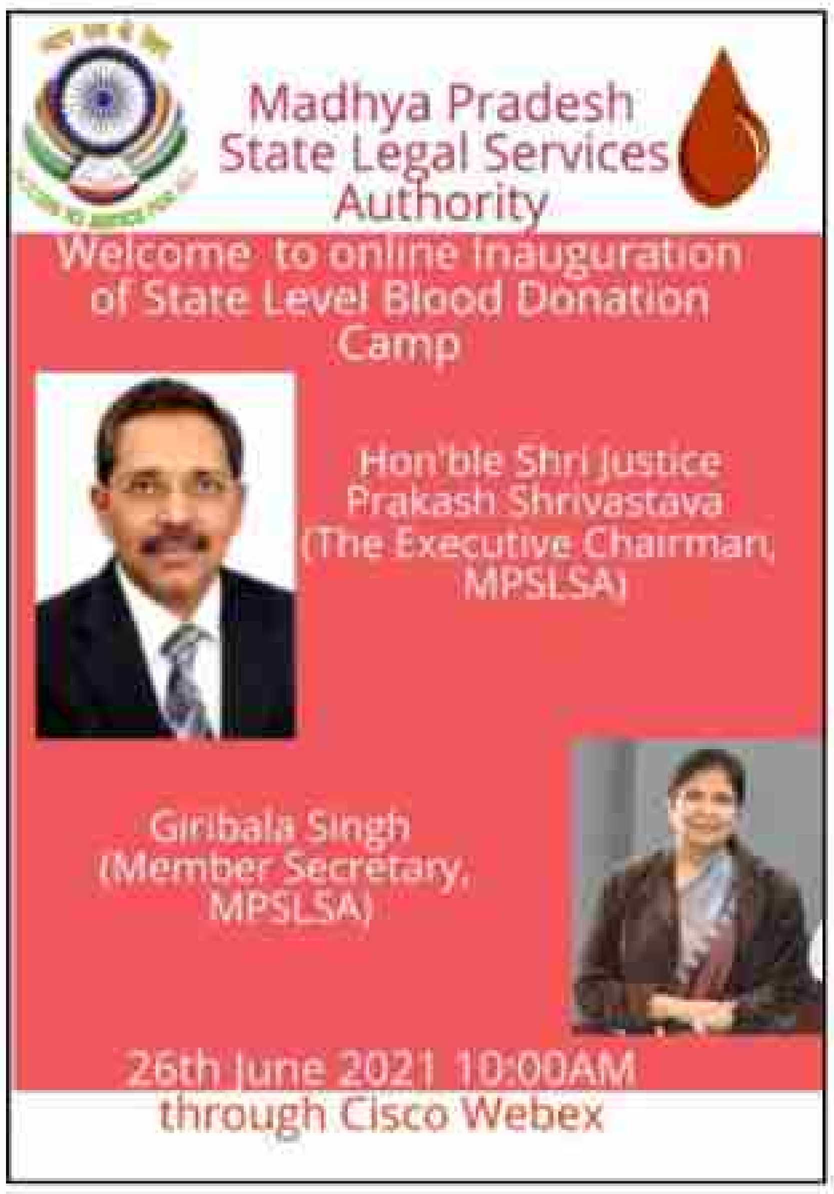

contribution by the legal services institution through this endeavor at a time when blood banks are facing acute blood shortage in the Pandemic era.

It is noteworthy that Hon'ble the Division bench of High Court of Madhya Pradesh observed that only 3600 units of blood are available against the requirement of 5600 units in 112 blood banks of the State, hence it was expected that sufficient quantity of blood should be available in the blood bank in the state. For the fulfillment of this purpose on the direction of MPSLSA all DLSA organized blood donation camps in coordination with health departments and other duty holders at District and Taluka level to donate blood voluntarily.

As a result of this step taken by all the legal services institutions of the State, on a single day about 3000 units of blood were successfully collected while some Tehsils have scheduled the campaign on a future within the next seven days. The outcome of this campaign has been hailed by all as an important step to provide accessibility to good public health to all persons. It is noteworthy that a decision to donate blood can save not just one but several lives when it is separated into its components for use by patients with specific conditions.

"Donate your blood for a reason, let the reason to be life"

---Anynomous

Glimpses Of Blood Donation Camp Acitivities By DLSAs

DLSA ALIRAJPUR

DLSA ANUPPUR

DLSA ASHOKNAGAR

DLSA BALAGHAT

DLSA BARWANI

DLSA BHIND

DLSA BURHANPUR

DLSA BHOPAL

DLSA CHHATARPUR

DLSA CHHINDWARA

DLSA DAMOH

DLSA DATIA

DLSA DEWAS

DLSA DHAR

DLSA DINDORI

DLSA GUNA

DLSA GWALIOR

DLSA HARDA

DLSA HOSHANGABAD

DLSA INDORE

DLSA JABALPUR

DLSA JHABUA

DLSA KATNI

DLSA KHANDWA

DLSA MANDLESHWAR

DLSA MANDLA

DLSA MANDSAUR

DLSA MORENA

DLSA NARSINGHPUR

DLSA NEEMUCH

DLSA RAISEN

DLSA RAJGARH

DLSA RATLAM

DLSA REWA

DLSA SATNA

DLSA SEHORE

DLSA SEONI

DLSA SHAHDOL

DLSA DHAR

DLSA SHEOPUR

DLSA SHIVPURI

DLSA SINGRAULI

DLSA SIDHI

DLSA SHAJAPUR

DLSA TIKAMGARH

DLSA UJJAIN

DLSA UMARIA

DLSA VIDISHA

CERTIFICATIONS TO DONORS

DLSA BETUL

DLSA REWA

DLSA SHAJAPUR

DLSA PANNA

DLSA SIDHI

DLSA SAGAR

FROM THE PRINT & ELECTRONIC MEDIA

TheHitavada
Jabalpur City Line | 2021-06-28 | Page-4
ehitavada.com

City judges, prominent figures donate blood during camp

■ Legal correspondent

Chairman of the District Legal Services Authority, Naveen Kumar Saxena and others donating blood during the camp.

UNDER the directions of Executive Chairman of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority (MPLSA), Jabalpur, blood donation camps were held across the State on Saturday. On this occasion, Principal District Judge and Chairman District Legal Services Authority, Jabalpur, Naveen Kumar Saxena firstly donated blood to motivate everyone to donate blood. In blood donation camp, important support was provided by donating blood by judges, judicial staff, officers and employers of Legal Services Authority, advocates and other social workers.

The crowd of blood donors who reached the blood donation camp was looking excited. In this great blood donation, it was proved by the blood donors that there is no weakness of any kind by donating blood and the life of others can be saved by donating blood. In District Legal Services Authority Jabalpur, 73 people donated blood as well as blood donation camps were organized in Tehsil Legal Services Committee, Sihora and Patan, in which 39 and 51 people donated blood, thus a total of 163 people donated blood and did a great job.

TheHitavada
Jabalpur City Line | 2021-06-28 | Page-3
ehitavada.com

DLSA organises blood donation drive at Sagar ADR Centre

■ Our Correspondent
SATNA, June 27

UNDER the auspices of District Legal Service Authority (DLSA), Jabalpur, blood donation camp was organised at ADR Centre, Satna tehsil, Legal Service Committee, Maihar and Tehsil Legal Service Committee, Nagod. As many as 80 donors donated blood on the occasion.

The blood donation camp was inaugurated by District Judge and President, District Legal Service Authority Rajendra Prasad Sharma at ADR Centre, Satna, by lighting traditional lamp. The camp was held under guidance of Registrar Parth Shankar Mishra. The inaugural function was graced by Judge Parth Shankar Mishra, Saumya Garg, Shaifali Singh, Shweta Gautam, Shishir Shukla, Himanshu Paliwal, SP Dharamveer Singh, his wife Kavita Yadav, CSP Vijay Pratap Singh and others officers, lawyers, social activist. At the camp held at ADR Centre, 52 persons donated blood.

Further blood donation camp was also organised at Tehsil Legal Service Committee at Maihar where Second Additional Judge, Maihar Sanjay Kumar Singh, Judicial Magistrate First Class Sarita Parna and 10 other judicial employees and lawyers donated blood. In similar camp held at Nagod and 10 persons donated blood.

The blood donation camps held at ADR Centre, Satna.

रालसा ने बनाया 3600 यूनिट ब्लड एकत्रित करने का रिकॉर्ड

कार्यालय संवाददाता, जबलपुर | मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) ने शनिवार को आयोजित प्रदेशव्यापी रक्तदान शिविर में 3600 यूनिट ब्लड एकत्रित करने का रिकॉर्ड बनाया। यह शिविर प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक एवं मप्र हाईकोर्ट के चीफ ज. मोहम्मद रफीक के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। शिविर का ऑनलाइन शुभारंभ प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष व मप्र हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने किया। जिला एवं तहसील स्तर पर आयोजित शिविर में न्यायिक अधिकारी, विधिक सहायता अधिकारी, अधिवक्ता और पुलिस कर्मियों ने रक्तदान किया। प्राधिकरण की सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह ने बताया कि प्रदेश के 112 ब्लड बैंकों में 5600 यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान समय में 3600 यूनिट ही ब्लड उपलब्ध था। शनिवार शाम 6 बजे तक 3600 यूनिट ब्लड एकत्रित हो चुका था, जो एक रिकॉर्ड है। विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि वे 17 वर्ष के दौरान 40 बार रक्तदान कर चुके हैं।

शुजालपुर.कालापीपल.सवसी

स्वस्थ व्यक्ति को दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए स्वेच्छा से रक्तदान जरूर करना चाहिए- वेदी

76 व्यक्तियों ने न्यायालय परिसर के शिविर में किया रक्तदान, रक्तदाताओं को मिले प्रमाण-पत्र

भास्कर संवाददाता | शुजालपुर

तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा शनिवार को अभिभाषक संघ के सहयोग से कोर्ट परिसर में अभिभाषक संघ सभागृह में आयोजित किए गए रक्तदान शिविर में सुबह से शाम तक 76 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदाताओं को प्रमाण-पत्र देकर साधुवाद ज्ञापित किया गया।

शनिवार सुबह 10 बजे रक्तदान शिविर का उद्घाटन कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश करुण वेदी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश धीरज कुमार, न्यायाधीश अनुभा शर्मा, नोडल [illegible], एसडीएम प्रकाश कस्बे, सिविल अस्पताल प्रभारी डॉ. राजेश तिवारी, जेल अधीक्षक शिवपाल सिंह के आतिथ्य में हुआ। इस दौरान सिटी थाना प्रभारी टीआर पटेल, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष रमेश राजपूत, उपाध्यक्ष मंगीलाल परिहार, सचिव अतुल मिश्र, आलोक परमार, संजय शर्मा, ब्रजकिशोर परमार, जया महेश्वरी, संजय मिश्र, राजकुमार साहू, राजकुमार धवानी, मिलिंद दुबे सहित अन्य भी उपस्थित रहे। शिविर के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए न्यायाधीश करुण वेदी ने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति को दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए स्वेच्छा से रक्तदान करने का संकल्प लेते हुए नियमित रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्तदान से रक्तदाता के शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और वह अपने शरीर से दिए हुए रक्त से किसी अन्य व्यक्ति की जान बचाते हुए परोपकार के साथ नैतिक कर्तव्य भी निभाता है। अन्य लोगों ने भी संबोधित करते हुए रक्तदाताओं को प्रेरित किया। इस प्रकार आगत न्यायालय में रक्तदान हुआ।

रक्तदान करते सहयोगी व रक्तदाता को प्रमाण-पत्र वितरित करते आयोजक।

प्रोत्साहित किया

विशेष बात यह रही कि न्यायाधीश करुण कुमार व एसडीएम प्रकाश कस्बे उद्घाटन से लेकर समापन तक पूरे समय परिसर में मौजूद रहे तथा रक्तदाताओं को व्यक्तिगत रूप से प्रोत्साहित किया। इसी का परिणाम रहा कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों, अभिभाषकों सहित समाज के लोगों ने रक्तदान करते हुए न्यायालय परिसर में शाम 4 बजे तक 76 यूनिट रक्त जुटाया।

रविवार

कृष्णा-राजकपूर ऑडिटोरियम में 218 लोगों ने किया रक्तदान

रक्तदान शिविर में रीवा को मिला प्रदेश में प्रथम स्थान

[illegible]

रक्तदान का महत्व खुद की अनुभव में होता है : कलेक्टर

[illegible]

नारी शक्ति ने की शुरुआत

[illegible]

रक्तदान जीवनदान है : सुचारी

[illegible]

TheHitavada
Jabalpur City Line | 2021-06-28 | Page-3
ehitavada.com

Blood donation camp held at Sagar court

■ Our Correspondent
SAGAR, June 27

IN A bid to collect blood which can be used in time of emergency, a blood donation camp was organised at District Legal Service Authority, District Court, Sagar campus under direction of Principal District Judge and President District Legal Service Authority, Sagar BR Patil.

This camp was held with coordination of District Hospital, Sagar. The camp was inaugurated through video conferencing by Chairperson of M.P State Legal Service Authority, Jabalpur and attended by Principal District Judge and President District Legal Service Authority, Sagar B R Patil, Collector Deepak Singh, MP State AIDS Control Committee, District Hospital, Sagar Blood Unit Team Incharge Dr Ramkumar, Medical Officer and Secretary, Vivek Sharma and other Judges, lawyers.

Judge Harish Patel, Judge, Labour Court Sonam Raghuwanshi, Judical Magistrate, First Class, Judicial employees and eminent citizen of the area were present at the camp. In this camp, as many as 41 person donated blood. All the donors were presented certificate by Principal District Judge and President District Legal Service Authority, Sagar B R Patil.

The blood donation camp held at District Court, Sagar.

रक्त के अभाव में न हो किसी की मौत

जिला न्यायालय आयोजित शिविर में 74 यूनिट हुआ रक्तदान

भास्कर संवाददाता | भिंड

जीवन में मानवीय पहलू सर्वोपरि है। रक्त के अभाव में किसी की जान न जाए। ऐसी धारणा को लेकर जिला न्यायालय परिसर में आयोजित शिविर में न्यायाधीशगण द्वारा भी रक्तदान किया गया। शनिवार को सुबह इस शिविर का आयोजन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर प्रधान जिला न्यायाधीश एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में किया गया।

शिविर में जहां एक ओर न्यायाधीश रमेश सिंह, न्यायाधीश सुनील दण्डौतिया, न्यायाधीश सय्यद दानिश अली द्वारा रक्तदान किया गया वहीं दूसरी ओर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौशलेन्द्र सिंह के पितृत्व अवकाश पर होने के बाद भी उनके द्वारा रक्तदान किया गया। इसके अतिरिक्त जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजन सिंह भदौरिया, एडीपीओ इंदेश प्रधान सहित कर्मचारियों, अभिभाषकों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस प्रकार से 74 यूनिट ब्लड बैंक को उपलब्ध कराया गया। शिविर में महिलाओं द्वारा रक्तदान किया गया।

शिविर में रक्तदान करते लोग।

शिविर में संगठन प्रमुखों का रहा सहयोग

न्यायिक क्षेत्र में रिकार्ड रक्तदान किये जाने में जहां नवजीवन सहायतार्थ संगठन एवं संजीवनी संगठन के सदस्यों में नितेश जैन, बबलू मिश्रो, रश्मि भदौरिया अधिवक्ता का मुख्य रूप से सहयोग रहा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सभी सहयोगियों का रक्तदाताओं का इस पुनीत कार्य के लिए आभार प्रकट किया गया है।

स्वस्थ्य व्यक्ति को रक्तदान करते रहना चाहिए...

बुरहानपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश केएस बारिया एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मण्डलोई, सीएचएमओ डॉ. एमपी गर्ग एवं डॉ. फहीमा हुसना ने भाग लिया।

रक्तदान महादान है और लाचार एवं बीमार व्यक्ति के लिये जीवनदान है। रक्त का दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिये मानवता धर्म के नाते समय समय पर हर स्वस्थ्य व्यक्ति को रक्तदान करते रहना चाहिए। कोरोना काल में प्रदेश के समस्त ब्लड बैंकों में रक्तकोश की अत्यंत कमी हो गई थी।

शनिवार को आयोजित रक्तदान शिविर के चलते अस्पताल में भर्ती 4 वर्षीय बालिका कुमारी नंदनी जोकि थैलेसीमिया रोक से पीड़ित होकर रक्त चढ़ाने की आवश्यकता थी उक्त बालिका को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित शिविर में एकत्रित किया गया रक्तदान से प्राप्त रक्त की एक यूनिट तत्काल निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई। जिस पर से बालिका की माता ने ब्लड बैंक एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को धन्यवाद दिया।

रक्तदान शिविर में पैरालीगल वालेंटियर आशा तिवारी, गोपाल दरगड, डॉ. फोजिया सोडावाला, आशा दलाल, सैय्यद शहजाद अली, विकास सोनी, धीरज जवादे, हितेश सानव, मंसुर सेवकजी, उमेश महाजन, निलेश महाजन, न्यायिक कर्मचारी गजेन्द्र पाराशर, दिपक उपाध्याय, जयकिशोर शुक्ला, अन्य सामाजिक कार्यकताओं ने रक्तदान कर शिविर आयोजन को सफल बनाया।

न्यायाधीश व वकीलों ने किया रक्तदान

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित

देवास। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास [illegible] कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती [illegible] सिंह के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर देवास में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। [illegible] कार्यपालक अध्यक्ष म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा रक्तदान शिविर का शुभारंभ प्रातः 10 बजे ऑनलाइन माध्यम से किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश [illegible] कुमार गुप्ता ने दीप प्रज्ज्वलित कर शिविर प्रारंभ किया एवं शिविर में आम लोगों का उत्साह बढ़ाया और रक्तदान के लिए प्रेरित किया। रक्तदान शिविर में जिला चिकित्सालय के चिकित्सक डॉ. [illegible] के नेतृत्व में एक टीम ने रक्त एकत्रित किया। रक्तदान के लिए पांच बेड लगाए गए एवं रक्तदाताओं को जूस एवं बिस्किट दिए गए एवं रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। शिविर में प्रधान जिला न्यायाधीश की पत्नी श्रीमती [illegible] गुप्ता, द्वितीय जिला न्यायाधीश [illegible] दुबे, [illegible] सहित अन्य लोगों ने भी रक्तदान किया। शिविर में [illegible] न्यायाधीशगण, न्यायालयीन कर्मचारीगण, अधिवक्तागण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण शामिल रहे।

विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में न्यायालय परिसर में हुआ रक्तदान

सहभागी रक्तदाताओं को किया गया सम्मानित

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला न्यायालय स्थित [illegible] परिसर में आज रक्तदान [illegible]

कार्यक्रम आयोजित किया गया। रक्तदान कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण [illegible]

[illegible]

Sun, 27 June 2021
https://epaper.bhaskarhindi.com/c/[illegible]

अदालत में जज, वकील, कर्मचारी और आम लोगों ने किया रक्तदान

भोपाल (विधिक संवाददाता)। राजधानी की जिला अदालत में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यपालक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उपेंद्र कुमार सिंह और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे एसपीएस बुंदेला ने सबसे पहले रक्तदान कर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। कार्यवाहक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उपेंद्र कुमार सिंह ने उपस्थित लोगों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित किया साथ ही स्वैच्छिक रक्तदान कर रहे दानदाताओं को भविष्य में भी नियमित अंतराल पर रक्तदान करते रहने का संकल्प दिलवाया। एडवोकेट ऋषि राहुल चौबे ने 29 वीं बार रक्तदान किया।

शिविर की खास बात यह रही कि न्यायाधीशों, वकीलों, न्यायिक कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के साथ ही आम लोगों ने भी रक्तदान किया। पैरालीगल वालेंटियर और शेख मुर्तजा अली के आह्वान पर बोहरा समाज के आठ युवाओं ने भी रक्तदान किया। इस मौके पर स्टेट बार कौंसिल के चेयरमैन विजय चौधरी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मीडिया इंचार्ज खालिद हफीज एडवोकेट, जिला विधिक सहायता अधिकारी बीएम सिंह, संजय गुप्ता सहित अनेक लोग उपस्थित थे। न्यायाधीश विशाल अखण्ड, अधिवक्ता सम्मान एवं रक्षा समिति के अध्यक्ष प्रियनाथ पाठक, एडवोकेट एसोसिएशन फॉर जूनियर के अध्यक्ष यावर खान, सचिव मो. फुरकान खान , पैरालीगल वालेंटियर शेख मुर्तजा अली, जानेमाने वकील अब्दुल वाहिद खान, न्यायिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र जामलिया, वरिष्ठ न्यायिक कर्मचारी हरीश सबनानी सहित अन्य न्यायाधीशों , वकीलों, न्यायिक कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों और समाजसेवियों ने 120 यूनिट रक्त दान किया। गौरतलब है कि राज्य प्रदेश के ब्लड बैंकों में रक्त की कमी को देखते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने एक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश में रक्तदान को प्रोत्साहित किये जाने के निर्देश दिये थे।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर के निर्देश पर मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संपूर्ण मध्यप्रदेश की जिला एवं तहसील अदालतों में शनिवार को रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया।

पत्रिका प्राइड

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

टीकमगढ़. जिला न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था।

इस शिविर में न्यायाधीश, अधिकारियों के साथ ही अधिवक्ताओं एवं समाज सेवियों ने भी रक्तदान किया। शनिवार को आयोजित इस शिविर में कुल 26 यूनिट रक्तदान किया गया। रक्तदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को एडीआर सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।

यहां पर विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंद्रा सिंह, विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शचीन्द्र श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां पर पहुंचे ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. विकास जैन एवं अन्य डॉक्टरों ने रक्तदाताओं का परीक्षण कर रक्तदान करवाया। रक्तदाताओं की इस पहल की सराहना भी की गई।

इन्होंने किया रक्तदान

न्यायाधीश प्रशांत शुक्ला, पारस जैन, हर्षराज दुबे, अंकित भुजंग, मृदुल लटौरिया, एसबी एमएस चौरसिया, जिला वैज्ञानिक अधिकारी प्रदीप यादव, डीएसपी प्रिया सिंधी, राजकुमार अहिरवार सहित अन्य लोगों ने रक्तदान किया। कुल 26 लोगों ने रक्तदान किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस जैन ने कहा कि रक्तदान करने से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती है। सचिव शचीन्द्र श्रीवास्तव का कहना था कि एक रक्तदान 3 लोगों की जान बचाता है। उन्होंने लोगों ने रक्तदान करने की अपील भी की।

इशानिका भी बनी सहभागी

यहीं रक्तदान के लिए दो सालों से जिले में काम करने वाली इशानिका मेमोरियल संस्था भी इस अभियान में सहभागी बनी। संस्था के 18 वर्ष के युवा अदीश जैन वैद्य ने पहली बार रक्तदान। इसके साथ ही संस्था द्वारा न्यायालय परिसर में 5 पौधे भी रोपे गए। संस्था द्वारा किए जा रहे इस कार्य की जिला सत्र न्यायाधीश इंद्रा सिंह ने भी सराहना।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

दिनांक 21.06.2021

"सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः"

माननीय मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद रफीक के कुशल मार्गदर्शन एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव प्रशासनिक न्यायाधिपति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में दिनांक 21.06.2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रातः समय 11:00 बजे संपूर्ण प्रदेश में एक साथ **''योग, मानसिक स्वास्थ्य तथा विधिक जागरूकता शिविर''** का आयोजन किया गया।

उक्त शिविर प्रदेश की समस्त जेलों, बालगृहों, नशामुक्ति केन्द्रों एवं चयनित विवाद विहीन ग्रामों में आयोजित किये गये। इस वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल के दौर में योग एवं प्राणायाम के माध्यम से निश्चित तौर पर प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा एवं शारीरिक स्वास्थ्य के साथ–साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पडेगा।

इसी अवसर पर प्रातः 08 बज म. प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर के अधिकारी, कर्मचारी एवं अधिवक्तागण के लिये ऑनलाईन सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंद पाठक द्वारा किया गया एवं योग के महत्व को समझाते हुये प्रतिदिन योग किये जाने हेतु प्रेरित किया गया।

Learning never exhausts the mind.

..........Leonardo da Vinci

DLSA DEWAS

DLSA JHABUA

DLSA RAISEN

DLSA ANUPPUR

DLSA NEEMUCH

DLSA TIKAMGARH

DLSA BURHANPUR

DLSA DINDORI

DLSA SAGAR

DLSA PANNA

DLSA UMARIA

DLSA NARSINGHPUR

DLSA HARDA

DLSA BHOPAL

DLSA SEONI

DLSA DATIA

DLSA ALIRAJPUR

DLSA INDORE

Media News.....

राष्ट्रीय हिन्दी मेल

न्यायाधीशों ने मनाया विश्व योग दिव

योग को दैनिक जीवन में आत्मसात करना आवश्यक : खान

खरगोन दैनिक अग्निवर्षा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर जिले में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंस व सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखा गया। कई स्थानों पर सामूहिक रूप से तो कई जगह ऑनलाईन योग कार्यक्रम रखे गए। स्वस्थ शरीर और अच्छी सेहत के लिए लोगों ने भी इन योगा कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में योगाभ्यास का यूट्यूब पर लाइव आयोजन किया गया। क्रीड़ा अधिकारी डॉ. गगन कुमार, प्राचार्य डॉ. आरएस देवड़ा, संयोजक डॉ. शैल जोशी आदि मौजूद रहे। प्रधान जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर अजय प्रकाश मिश्र के निर्देशन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर भारत सिंह रावत के मार्गदर्शन में योग दिवस के अवसर पर जिला जेल खरगोन में द्वितीय जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष शमरोज खान तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग कार्यक्रम माँ गायत्री शक्तिपीठ परिवार के सदस्यों के सहयोग से आयोजित किया गया। गायत्री शक्तिपीठ के योगाचार्य सौरभ मौर्य द्वारा बंदियों को योग के महत्व व उपयोगिता बताते हुए योगाभ्यास कराया गया। कार्यक्रम में बंदियों को संबोधित करते हुए शमरोज खान ने कहा कि हमें योग को दैनिक जीवन में आत्मसात करना आवश्यक है।

बंदियों को कराया सूर्य नमस्कार और प्राणायाम

झाबुआ @ पत्रिका. विश्व योग दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बंदियों के लिए योग एवं विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन जिला जज राजेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन एवं प्राधिकरण के सचिव/जिला जज राजेश देवलिया के निर्देशन में हुआ। डॉ. दीपेश टेलर ने बंदियों के लिए सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, अनुलोम-विलोम आदि आसन योग व्यायाम का अभ्यास कराया।

शिविर को संबोधित करते हुये श्री देवलिया जी ने कहा कि सभी अपने दिनचर्या में नियमित योग व्यायाम को शामिल करना चाहिए। करें योग रहें निरोग के सिद्धांत पर अमल करते हुये प्रतिदिन योग अभ्यास से शरीर चुस्त-दुरुस्त रहता है और सभी प्रकार के संर मण से मुक्त होकर [illegible] पॉवर बढ़ती है। शिविर [illegible] के उनके कानूनी [illegible] कानूनी प्रावधान बताए गए। आचार्य सुश्मितानंद स्वामी ने बताया कि योग ध्यान के माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं। योग एवं साक्षरता शिविर के पश्चात् श्री देवलिया ने जेल का निरीक्षण किया तथा जेल अधीक्षक राजेश विश्वकर्मा को आवश्यक निर्देश दिए। बंदियों से न्यायालय पेशी, वकील पैरवी, भोजन, उपचार आदि के संबंध में आवश्यक पूछताछ की एवं बंदियों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया। बाल सम्प्रेक्षण गृह में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ की ओर से निरुद्ध बालकों को योगा अभ्यास कराया गया तथा सूक्ष्म विधिक साक्षरता शिविर का भी आयोजन किया गया। इसमें बालकों को उनके कानूनी अधिकार, किशोर न्याय अधिनियम के कानूनी [illegible]

विश्व योग दिवस पर जिला जेल में हुआ शिविर का आयोजन

झाबुआ। विश्व योग दिवस के अवसर पर 21 जून को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय झाबुआ के तत्वाधान में बंदियों के लिए योग शिविर एवं विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन सुबह 7 से 8 बजे तक प्रधान जिला जज राजेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन एवं प्राधिकरण के सचिव/जिला जज राजेश देवलिया के निर्देशन में संपन्न हुआ। बंदियों के लिए सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, अनुलोम-विलोम आदि आसन योग व्यायाम का अभ्यास डॉ दीपेश टेलर योगाचार्य द्वारा कराया गया। शिविर को संबोधित करते हुए देवलिया ने कहा कि सभी अपने दिनचर्या में नियमित योग व्यायाम को शामिल करना चाहिए। च्करें योग रहें निरोगज्ञ के सिद्धांत पर अमल करते हुवे प्रतिदिन योग अभ्यास से शरीर चुस्त-दुरुस्त रहता है और सभी प्रकार के संक्रमण से मुक्त होकर ईम्युनिटी पॉवर बढ़ती है। योग शिविर के साथ-साथ विधिक जागरूकता शिविर में बंदियों के उनके कानूनी अधिकार, नि:शुल्क सहायता, अंतरिम जमानत, पैरोल आदि के संबंध में भी कानूनी प्रावधान बताये गये। आचार्य सुश्मितानंद स्वामी ने भी योग शिविर में अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि योग ध्यान के माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बनाये रख सकते है। योग एवं साक्षरता शिविर के पश्चात देवलिया द्वारा जेल का निरीक्षण किया गया जिसमें भोजन शाला, महिला एवं पुरुष बैरिक एवं अन्य स्थानों का निरीक्षण किया तथा जेल अधीक्षक राजेश विश्वकर्मा को आवश्यक निर्देश दिये। बंदियों से न्यायालय पेशी, वकील पैरवी, भोजन, उपचार आदि के संबंध में आवश्यक पूछताछ की गई एवं बंदियों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया।

आसन-प्राणायाम से स्मरण शक्ति बढ़ाएं

बुरहानपुर ● जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर की ओर से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना बच्चों से मैत्रीपूर्ण संबंध के अंतर्गत सहारा बाल गृह के बच्चों हेतु योग एवं प्राणायाम शिविर आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकारी सचिव नरेन्द्र पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि आसन-प्राणायाम से हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से स्वस्थ होता है और विद्यार्थी जीवन में नियमित प्राणायाम करने से एकाग्रता बढ़ने से स्मरण शक्ति बढ़ती है और बच्चे अच्छा अध्ययन कर सकते हैं। शिविर में मोहन सोनी द्वारा बच्चों को विभिन्न आसन जैसे ताड़ासन, हनुमान आसन, त्रियक ताड़ासन, कटीचक्रासन, तितली आसन, सर्वांग आसन, हलासन, सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम सिखाए गए तथा उन्हें नियमित रूप से करने हेतु प्रेरित किया। मुध्कर चौरे ने कहा कि, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने हेतु बच्चों को नियमित रूप से खेलकूद एवं योग करना चाहिए।

न्यायालय परिसर एवं बाल आश्रयगृह किलकारी में आयोजित हुए योग शिविर

नीमच।
(स्वर्णिम हिन्दुस्तान)

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण म.प्र.के निर्देशन एवं प्रधान जिला न्यायाधीश नीमच श्री ह्रदेश के मार्गदर्शन में 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बाल आश्रय गृह किलकारी में योग शिविर आयोजित किया गया। नीमच की योग गुरु एवं पैरा लीगल वालेंटियर श्वेता ओझा ने बच्चों को योग की आसान क्रियाएं सिखाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संजय जैन ने बच्चों को योग के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया। किलकारी के मैनेजर श्री पवन ने प्राधिकरण का आभार व्यक्त किया। विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच की ओर से विश्व योग दिवस के अवसर पर दूसरा योग शिविर जिला न्यायालय स्थित एडीआरसेंटर भवन के सभाकक्ष में आयोजित किया।

शिविर में योग गुरु श्वेता ओझा द्वारा उपस्थित न्यायाधीश गण एवं कर्मचारीगण को योग एवं प्राणायाम के विभिन्न आसन सिखाए गए। साथ ही कार्यालय में निरंतर बैठकर कार्य करने से उत्पन्न होने वाली शारीरिक समस्याएं एवं मानसिक तनाव को दूर करने के आसान उपाय चेयर योग के रूप में बताए। इसके पूर्व शिविर के प्रारंभ में प्रधान जिला न्यायाधीश श्री ह्रदेश द्वारा योग गुरु श्वेता ओझा को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका सम्मान किया गया।

नीमच जिले में [illegible] प्रति देखा गया

वैक्सीनेशन महा

स्वस्थ शरीर के लिए करें प्राणायाम

बुरहानपुर ≡ राज न्यूज नेटवर्क

Celebration of "Bharat ka Amrut Mahotsav"

भारत सरकार द्वारा आयोजित "भारत का अमृत महोत्सव" कार्यक्रम के शुभारंभ दिवस दिनांक 12.03.2021 को म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सेवा गतिविधियों का आयोजन किया गया था। जिसमें म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में राज्य के 18 आदिवासी बाहुल्य जिले अलीराजपुर, अनूपपुर, बालाघाट, बडवानी, बैतूल, छिंदवाडा, धार, डिण्डौरी, झाबुआ, खण्डवा, मण्डला, मण्डलेश्वर, रीवा, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी एवं उमरिया में आदिवासी समुदाय को लाभांवित किये जाने के उद्देश्य से शिविरों का आयोजन किया गया।

उक्त शुभारंभ के पश्चात् कोरोना महामारी में भी आदिवासी बाहुल्य जिलों द्वारा ऑनलाईन माध्यम से शिविर आयोजित किये जा रहे है, जिसमें जरूरतमंद आदिवासी समुदाय के सदस्यों को विधिक सहायता की जानकारी एवं सलाह भी प्रदान की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा दिनांक 28.06.2021 जिला न्यायालय परिसर में स्थित न्याय वाटिका में **भारत का अमृत महोत्सव** कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिविर में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपस्थित पक्षकारगण एवं आमजनों को अमृत महोत्सव कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की गाथा जन–जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एवं समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुये वर्गों के उत्थान के लिए विशेष अवसर उपलब्ध कराये जाने की जानकारी दी। इसके अतिरिक्त शिविर में कोरोना संक्रमण से बचाव, उपाय, आयुष्मान भारत योजना, आदिवासियों के अधिकार, नालसा एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं की जानकारी दी गई। उक्त शिविर में योजनाओं संबंधी ब्रोशर्स भी आमजन को वितरित किये गये। उक्त शिविर से लगभग 50 व्यक्ति लाभांवित हुये।

Inauguration

COMMENCEMENT OF LEGAL AID CLINIC

29th June 2021 was a landmark day for the Sarojni Naidu Govt. Girls PG (Autonomous) College, Bhopal as it heralded the commencement of Legal Aid Clinic inaugurated with release of pamphlets and brochures through online mode by Hon'ble Smt. Justice Nandita Dubey, Judge, MP High Court.

The M.P. State Legal Services Authority works under the guidance of Hon'ble Shri Justice Mohammad Rafiq, Patron-in-Chief and Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava is the Executive Chairman. In the presidential address the Chief Guest Hon'ble Ms. Justice Nandita Dubey expressed her confidence that in coordination with the Legal Services Authority, it was expected that the college will successfully groom the students into responsible citizens.

The Principal of the College Dr. Pratibha Singh expressed that this step shall be a turning point for the students to familiarize with the legal system and effectively reach out to needy people for rights and remedies. In the introductory address the Members Secretary Giribala Singh apprised that the Legal Aid Clinic would serve as a student friendly platform to help marginalized sections in coordination with the District Legal Services Authority. Shri SPS Bundela Secretary DLSA gave the welcome address and the vote of thanks was rendered by Dr. Manisha Sharma, Professor Sociology & Coordinator Legal Aid Clinic. The programme concluded with the rendition of the National Anthem.

Shri Manoj Kumar Singh Additional Secretary, Shri Arvind Shrivastava, Deputy Secretary, Shri Zeeshan Khan, Shri Jitendra Mohan Dhurve, District Legal Aid Officers, students and faculty were also present in the inauguration program.

Legal Aid clinics under the aegis of the Legal Services Authorities have the sacrosanct duty to facilitate accessibility to justice. This Clinic will be run by students for students under supervision of Senior Faculty Members and in coordination with the District Legal Services Authority, Bhopal. The purpose of this Centre is to nurture an attitude of compassion and service among students.

With the inauguration of this Legal Services Clinic on the college campus, students of the college will play a vital role in coordination with the District Legal Services Authority Bhopal and facilitate the needs of marginalized sections of society apart.

TheHitavada
Jabalpur City Line | 2021-06-30 | Page-4
ehitavada.com

Legal aid clinic started at Sarojini College

■ Legal Correspondent

TUESDAY was a landmark day for the Sarojini Naidu Government Girls' PG (Autonomous) College, Bhopal as it heralded the commencement of legal aid clinic inaugurated with release of pamphlets and brochures through online mode by Justice Nandita Dubey, Judge, MP High Court. The MP State Legal Services Authority works under the guidance of Justice Mohammad Rafiq, Patron-in-Chief and Justice Prakash Shrivastava is the Executive Chairman. In the presidential address the chief guest Judge Nandita Dubey expressed her confidence that in coordination with the Legal Services Authority, it was expected that the college will successfully groom the students into responsible citizens. The Principal of the College Dr. Pratibha Singh expressed that this step shall be a turning point for the students

Justice Nandita Dubey inaugurating legal aid clinic through the online mode.

to familiarize with the legal system and effectively reach out to needy people for rights and remedies. In the introductory address the Members Secretary Giribala Singh apprised that the Legal Aid Clinic would serve as a student friendly platform to help marginalized sections in coordination with the District Legal Services Authority. SPS Bundela Secretary DLSA gave the welcome address and the vote of thanks was rendered by Dr. Manisha Sharma, Professor Sociology & Coordinator Legal Aid Clinic. The programme concluded with the rendition of the National Anthem. Manoj Kumar Singh Additional Secretary, Arvind Shrivastava, Deputy Secretary, Zeeshan Khan, Jitendra Mohan Dhurve, District Legal Aid Officers, students and faculty were also present in the inauguration program. Legal Aid clinics under the aegis of the Legal Services Authorities have the sacrosanct duty to facilitate accessibility to justice. This Clinic will be run by students for students under supervision of Senior Faculty Members and in coordination with the District Legal Services Authority, Bhopal.

Powered by Bharati Web Pvt Ltd

सरोजिनी नायडू महाविद्यालय में शुरू किया लीगल एड क्लीनिक

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय में मंगलवार को लीगल एड क्लीनिक का शुभारंभ किया गया।

मप्र उच्च न्यायालय की न्यायाधिपति नंदिता दुबे ने इसका ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस अवसर पर सदस्य सचिव गिरीबाला सिंह, कॉलेज प्राचार्य डॉ प्रतिभा सिंह, सचिव जिला विधिक

सेवा प्राधिकरण एसपीएस बुंदेला डॉ शैलबाला बघेल, डॉ. मनीष शर्मा आदि मौजूद थे। लीगल ए क्लीनिक के माध्यम से छात्राए जरूरतमंद और गरीबों को विधिव सहायता संबंधी मदद कर न्या दान की प्रक्रिया में सहभागिता क सकती हैं।

A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.

………..John C. Maxwell

Training and Webinar

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ग्वालियर

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ग्वालियर द्वारा दिनांक 27.06.2021 को हैप्पीनेश एवं अवेयरनेस मिशन क्लब के सहयोग से कोविड-19 महामारी से बचाव, सुरक्षा एवं आवश्यक चिकित्सीय परामर्श के लिये चिकित्सकों के साथ ऑनलाईन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त जागरूकता शिविर का शुभारंभ माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया गया। उक्त ऑनलाईन जागरूकता शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ, न्यूरोसर्जन, ट्रॉमा सेंटर प्रभारी, शिशुरोग विशेषज्ञ, ह्दय रोग विशेषज्ञ ने सम्मिलित होकर परामर्श दिया गया।

कोरोना काल में डॉक्टर्स ने निभाई अपनी जिम्मेदारी: जस्टिस श्रीवास्तव

कोरोना से बचने के लिये सावधानी और सकारात्मकता जरूरी : जस्टिस श्रीवास्तव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा दिनांक 21.06.2021 से 24.06.2021 तक ऑनलाईन माध्यम से पैरालीगल वालेंटियर्स हेतु 04 दिवसीय इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिवस पर अपराध विधि के अंतर्गत आमजन को आवश्यक न्यूनतम कानूनी जानकारी, जमानत, गिरफ्तारी, जेल बंदियों के अधिकार, दंड प्रकिया संहिता, भा.द.वि. आदि के विषय में तथ्यात्मक सम्यक जानकारी प्रदान दी, श्रम विभाग से सम्मिलित हुए श्रम निरीक्षक द्वारा श्रम विधि के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा अधिनियम की संक्षिप्त जानकारी देकर श्रम विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं को विश्लेषणात्मक रूप से समझाया। जिला लोक सेवा प्रबंधन विभाग से उपस्थित जिला प्रबंधक द्वारा आमजन के हितों में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदाय की। तहसील न्यायालय ब्यावरा में पदस्थ प्रथम जिला न्यायाधीश द्वारा पैरालीगल वालेंटियर्स को संपत्ति अधिकार विधि जैसे अचल संपत्ति का हस्तांतरण, पंजीयन, राजस्व विधि व सम–सामायिक स्तर के संपत्ति विवादों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यकम में पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देकर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। इसके अतिरिक्त परिवार विधि अंतर्गत विवाह विधि, गोद लेना, भरण–पोषण, हिरासत एवं संरक्षण, तलाक की विधियां, घरेलू हिंसा अधिनियम, महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में अन्य दाण्डिक प्रावधानों व विभिन्न पहलुओं, बालकों से संबंधित विधियों को बताया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा दिनांक 02.06.2021 को रिमाण्ड अधिवक्तागण के साथ ऑनलाईन मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में सचिव द्वारा pre-arrest arrest एवं remand के दौरान अभियुक्त का पक्ष समर्थन करने व पुलिस द्वारा थाने में आहुत किए जाने पर अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये गये।

The best preparation for tomorrow is doing your best today.

.........H. Jackson Brown, Jr.

Legal Services to Disaster Victims under NALSA Scheme

Awareness camp organized for the upliftment of Bachhra community

DLSA NEEMUCH

DLSA Neemuch organized a Legal awareness camp on 25/06/2021 in coordination with the non-government voluntary organization Jan Sahas. Chairman DLSA apprised the gathering that the objective of camp is to bring the children of the Bachhra community in the main stream of society. He also informed them about their rights. He encouraged the children to study to build their future.

Food items and grocery were also distributed to the needy persons of Bachhra community.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर

कोरोना महामारी के दौरान संकट की घडी में बांछड़ा समुदाय के लोगों पर भोजन का विकट संकट आ गया था। उक्त तथ्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर के संज्ञान में आया। जिसके पश्चात् जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा दिनांक 01.06.2021 को प्रोजेक्ट मिशन मुक्ति कार्यक्रम के समन्वय से बांछडा समुदाय के गांव में पहुंच कर देह व्यापार में लिप्त महिलाओं के परिवारों को 21 सामग्री की राशन किट एवं दवाई किट वितरित की गई। इस अवसर पर एक विधिक साक्षरता शिविर का भी आयोजन किया गया।

कुरीति से आहत बांछड़ा समुदाय को शिक्षा से मिलेगी राहत - जिला न्यायाधीश

Panch 'J'

Preserving Our Beautiful Blue Planet

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी द्वारा दिनांक 13.06.2021 को पर्यावरण संरक्षण एवं विधिक जागरूकता के उद्देश्य से साईकिल रैली का आयोजन किया गया। उक्त रैली जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी से प्रारंभ होकर न्याय निकुंज, करहिया, बड़ागांव, पिपरिया होते हुये ग्राम घुघरा तक आयोजित की गई। पर्यावरण संरक्षण हेतु जिला न्यायालय परिसर एवं न्याय निकुंज हेतु लगभग 100 फलदार वृक्ष क्रय कर वृक्षारोपण किया गया। रैली के माध्यम से ग्रामवासियों को पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रोत्साहित करने के साथ–साथ वैक्सीनेशन लगवाने, मास्क पहनने, कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाने हेतु जानकारी दी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा साईकल रैली का आयोजन
पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

ग्राम पंचायत बड़ागांव में आयोजित शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा मध्यस्थता, निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता, लोक अदालत, अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के संबंध में जानकारी प्रदान की।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में 'पंच–ज' अभियान के अंतर्गत एक अनोखी पहल की गई। जिसमें सीड बॉल्स के माध्यम से वृक्षारोपण करने का कार्य किया गया। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर द्वारा न्यायालय परिसर में दिनांक 14.06.2021 को पक्षकारों को पौधे एवं सीड बॉल्स वितरित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उक्त अवसर पर जानकारी दी कि यह एक ऐसी पहल है जिसमें वृक्षारोपण हेतु किसी विशेष परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती है, अपितु मिट्टी की बॉल के अन्दर ही पौधे के बीज को रख दिया जाता है। इस बॉल को जहां भी फेका जाता है वह पौधा बन जाता है। इस अनुक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा लगभग 10 तरह के बीजों से सीड बॉल्स तैयार की गई, तदोपरांत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिवक्तागण, पुलिस बल, पैरालीगल वालेंटियर्स की टीम द्वारा मंदसौर शहर के नयाखेड़ा बायपास पर जाकर सीड बॉल्स का वितरण ट्रक, बस, कार एवं मोटर सायकल चालकों को किया गया एवं उन्हें सीड बॉल्स को रोड के किनारे झाडियो या कच्चे स्थान पर फेंकने हेतु अनुरोध किया। राहगीरों द्वारा उक्त कार्य की सराहना की गई।

जिला प्रभात

पंच-ज अभियान : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने उठाया पर्यावरण संरक्षण का बीड़ा

'पंच-ज' अभियान के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वाहन चालकों को वितरित किए गए सीड बॉल्स

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित टीकाकरण अभियान

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जिला प्रशासन के सहयोग से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में वैक्सीनेशन शिविरों का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के संबंध में जानकारी दी तथा आमजन में वैक्सीन के प्रति भ्रांतियों को दूर कर लोगों को वैक्सीन लगवाने हेतु प्रेरित किया गया।

ट्रांसजेण्डर्स समुदाय भी टीकाकरण में रहा अग्रणी......

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर द्वारा ट्रांसजेंडर वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग तथा थर्ड जेंडर पैरालीगल वालेंटियर संध्या घावरी एवं नूरी खान के विशेष प्रयासों इंदौर शहर में किन्नर समाज के लिए कोविड–19 वैक्सीनेशन कैम्प आयोजित किया गया।

DLSA DEWAS

DLSA KHANDWA

DLSA RAISEN

DLSA ANUPPUR

DLSA DHAR

DLSA INDORE

DLSA BHIND

DLSA HOSHANGABAD

DLSA HARDA

DLSA MANDSAUR

DLSA SEONI

DLSA BARWANI

Media News…

विधिक सेवा समिति द्वारा लगाया वैक्सीन कैम्प

अधिमनाल न्यूज/ब्यावर

ब्यावर में अपर सत्र न्यायाधीश ब्यावर निवेदिता मुद्गल की अध्यक्षता में तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा समस्त अधिवक्ताओं और नागरिकों के लिए वैक्सीन लगाने का कैम्प आयोजित किया गया,वहीं अभिभाषक कक्ष ब्यावर में 18+ वैक्सीनेशन कैम्प सुबह 11 बजे से आयोजित किया गया था जिसमें बुधवार को कैम्प के तहत 160 व्यक्तियों को कोवीसील्ड वैक्सीन का टीकाकरण किया गया,जिसमें स्वास्थ्य विभाग ब्यावर टीम श्री मति रेखा मेवाड़े एवं पूजा माहोर सहभागिता निभाई इस समय ब्यावर विधिक सेवा समिति से

निवेदिता मुद्गल-प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ब्यावर,प्राची शर्मा उपाध्याय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग1, अंशुल मंगल सिविल व्यवहार न्यायधीश वर्ग2, परमान्द सनोडिया व्यवहार न्यायाधीश वर्ग2 के साथ चंद्रकांत त्रिपाठी अध्यक्ष अभिभाषक संघ ब्यावर, सचिन श्रीवास्तव सचिव अभिभाषक संघ ब्यावर, वरिष्ठ अभिभाषक सुरेन्द्र कुशवाह, अभिभाषक जी.डी. शाक्यवार, सुधीर सक्सेना, ओपी शर्मा, सन्तोष राय न्यायालय ब्यावर, रवि शर्मा पैरालीगल वालेन्टियर ब्यावर कोर्ट समिति के सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

ग्रामीणों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविर

टीकाकरण के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए लगा विधिक साक्षरता शिविर

भास्कर संवाददाता| नरसिंहगढ़

विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की ओर से शनिवार को ग्राम पंचायत खेड़ी में ग्रामीणों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिए और गांव को कोरोना मुक्त बनाने के लिए जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष प्रभात मिश्रा की मौजूदगी में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें अपर जिला न्यायाधीश और विधिक सेवा समिति तहसील अध्यक्ष शशी सिंह ने ग्राम को कोरोना मुक्त बनाने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि टीकाकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रत्येक नागरिक को टीका लगवाना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि सभी लोग गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाकर ही आए- जाएं, हाथों को बार-बार सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं से अवगत कराते हुए लाभ पहुंचाने की बात भी कही। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर स्कूल परिसर में नीम का पौधा लगाया और वृक्षारोपण के महत्व के बारे में भी बताया।

इस दौरान ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर गौरव त्रिपाठी ने कहा कि टीकाकरण के प्रति फैल रही अफवाहों से बचें और टीकाकरण अवश्य करवाएं। इसके अलावा गांव में घूमकर आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर सरपंच मुकेश दांगी, सचिव देवेंद्र प्रताप सिंह, सहायक सचिव पुरुषोत्तम दांगी, स्वास्थ्य कर्मी सपना अहिरवार, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दीपिका गौर, हरिओम जाटव, असद खान, फराह खान, निलेश कटारिया, रमेंद्र कोष्टी आदि मौजूद रहे।

ग्रामीणों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविर

टीकाकरण के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए लगा विधिक साक्षरता शिविर

भास्कर संवाददाता| नरसिंहगढ़

विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की ओर से शनिवार को ग्राम पंचायत खेड़ी में ग्रामीणों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिए और गांव को कोरोना मुक्त बनाने के लिए जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष प्रभात मिश्रा की मौजूदगी में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें अपर जिला न्यायाधीश और विधिक सेवा समिति तहसील अध्यक्ष शशी सिंह ने ग्राम को कोरोना मुक्त बनाने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि टीकाकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रत्येक नागरिक को टीका लगवाना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि सभी लोग गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाकर ही आए- जाएं, हाथों को बार-बार सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं से अवगत कराते हुए लाभ पहुंचाने की बात भी कही। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर स्कूल परिसर में नीम का पौधा लगाया और वृक्षारोपण के महत्व के बारे में भी बताया।

इस दौरान ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर गौरव त्रिपाठी ने कहा कि टीकाकरण के प्रति फैल रही अफवाहों से बचें और टीकाकरण अवश्य करवाएं। इसके अलावा गांव में घूमकर आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर सरपंच मुकेश दांगी, सचिव देवेंद्र प्रताप सिंह, सहायक सचिव पुरुषोत्तम दांगी, स्वास्थ्य कर्मी सपना अहिरवार, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दीपिका गौर, हरिओम जाटव, असद खान, फराह खान, निलेश कटारिया, रमेंद्र कोष्टी आदि मौजूद रहे।

...डीआर भवन में आयोजित किया गया कोविड टीकाकरण कार्यक्रम

...यसेन (आरएनएन)। जिला ... सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष ... विधिक सेवा प्राधिकरण ... नाथ के मार्गदर्शन में जिला ... सेवा प्राधिकरण द्वारा ... सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग ... पालन करते हुए स्लॉट पर ... लाईन रजिस्ट्रेशन उपरांत ... करण कार्यक्रम आयोजित किया ... इसमें जिला मुख्यालय रायसेन ... न्यायिक अधिकारीगण, ... कर्मचारीगण, जिला ... संघ रायसेन के ... गण, विधिक सेवा ... करण के अधिकारी ... पैनल लॉयर, ... पैरालीगल वॉलेंटियर्स और उनके ... जन के लिए कोविड 19 ... हेतु 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए स्लॉट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उपरांत टीकाकरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती संगीता यादव द्वारा कोविड 19 टीकाकरण के फायदे, कोविड 19 से बचाव संबंधी जानकारी और कोरोना बीमारी के समय पर उपचार प्रारंभ होने के फायदे के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस टीकाकरण कार्यक्रम में 97 लोगों का टीकाकरण किया गया। सचिव के द्वारा उपस्थित सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण कराये जाने हेतु प्रेरित किया गया। लोगों को मास्क और सेनेटाइजर के उपयोग के बारे में बताया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन, शरद भामरकर प्रथम अपर जिला न्यायाधीश रायसेन एवं न्यायालय में पदस्थ अन्य न्यायाधीशगण, न्यायिक कर्मचारीगण, विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी, कर्मचारी, पैनल लॉयर तथा पैरालीगल वॉलेंटियर्स उपस्थित रहे।

विधिक अधिकारियों, कर्मचारियों और वालेंटियर्स का टीकाकरण

जिला न्यायालय के एडीआर भवन में लगाया गया विशेष शिविर

ताप्ती दर्शन, **बैतूल**

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेश पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अफसर जावेद खान के मार्गदर्शन में शुक्रवार को जिला न्यायालय परिसर (एडीआर भवन) में टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। इसमें कुल 210 अधिकारी, कर्मचारी और वालेंटियर्स को टीके लगाए गए। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला न्यायालय के संयुक्त तत्वावधान में जिला विधिक प्राधिकरण के अधिकारी, कर्मचारी, पैनल लायर्स एवं पैरालीगल वालेंटियर्स तथा न्यायालयीन कर्मचारियों को कोवैक्सीन का प्रथम डोज लगाया गया। शिविर **शेष पेज 2 पर...**

खंडवा पत्रिका 08 patrika.com

5 माह से एक भी ग्रामीण ने नहीं लगाया टीका, समझाइश के बाद शिविर में डोज पड़ गए कम

पत्रिका अभियान

251 लोगों ने लगवाया टीका

वैक्सीन लगाने के बाद चिपकने लगे शरीर से चम्मच और सिक्के

रिकार्ड 10 हजार से ज्यादा का हुआ टीकाकरण

विवाद विहीन ग्राम योजना

Distribution of Sanitization kits, Ration kits & Fruits in Litigation Free Village Bija, Patan

विवाद विहीन ग्राम बीजा में राहत सामग्री का वितरण

मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने पहुँचाई मदद

कार्यालय संवाददाता | जबलपुर

मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने पाटन के विवाद विहीन ग्राम बीजा में राहत सामग्री का वितरण किया। इस मौके पर ग्रामीणों को कोरोना से बचाव के लिए तरीके भी बताए गए। यह कार्यक्रम प्राधिकरण के संरक्षक एवं मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष और हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।

प्राधिकरण की सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह ने बताया कि ग्राम बीजा में ग्रामीणों को राशन किट, मास्क, सेनिटाइजर, ग्लव्स, जिंक टेबलेट किट, फल और बिस्कुट दिए गए। ग्रामीणों को बताया कि दो गज की दूरी ही कोरोना से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा ग्रामीणों को वैक्सीन लगवाने के लिए भी प्रेरित किया गया। इस मौके पर प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार सिंह, तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष रामबरेश यादव, कमल मिश्रा, जीशान खान और मोहम्मद जिलानी भी मौजूद थे। पी-4

Under the able guidance of Hon'ble Shri Justice Mohammad Rafiq Patron-in-Chief and Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava, Executive Chairman, M.P. State Legal Services Authority Officers and officials of the State Legal Services Authority visited Village Bija and Village Baroda Tehsil Patan District Jabalpur identified as Litigation Free Village on 02nd June 2021. This occasion was marked with the distribution of ration kits/fruits, Sanitization Kits including Masks, Sanitizer, Gloves, zinc tablets etc. to needy rural children and families with the help of K.E.C. Company & various NGOs while adhering to Covid 19 protocol.

Along with this, awareness was spread regarding prevention of corona virus and the villagers were also motivated to get vaccinated. On this occasion, villagers submitted their grievances to which the Officers directed the concerned to resolve such grievances.

The Litigation Free Village Scheme is the flagship programme of MPSLSA where at least one village in each Taluka is supported by the Legal Services Institution by constitution of the ***Legal Self-Service Group*** to promote free and proactive legal aid mechanisms for dispute resolution

at the grassroot level. Committed efforts are being made to upgrade the status of these villages to Adarsh Gram.

In the said program, Shri Manoj Kumar Singh Additional Secretary MPSLSA, Shri Rambaresh Yadav, Chairman Tehsil Legal Services Committee Patan, Shri Kamal Mishra HR Head K.E.C. Company, Legal Aid Officer Mr. Zeeshan Khan and Mr. Muhammad Jilani, Village Sarpanch, Secretary, Doctor of the local health center and Paralegal Volunteers were also present.

Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.

………..Edward Everett Hale

कोरोना मुक्त गाँव के संबंध में वेबिनार का आयोजन

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08.06.2021 को कोरोना मुक्त ग्राम कोरोना मुक्त भारत अभियान विषय पर ऑनलाईन बेबिनार का आयोजन ग्राम सेवा समिति एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल के समन्वय से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह द्वारा की गई। बेबिनार में मुख्यवक्ता के रूप में डॉ. आर.के. पालिवाल एवं विशेषवक्ता डॉ. सुरेश गर्ग उपस्थित रहे।

आयोजित बेबिनार में इस विषय पर जोर दिया गया कि ग्रामीण अंचलों में अधिक से अधिक टीकाकरण हो, इस हेतु लोगों को प्रेरित किया जा सके, इसके साथ ही गाँवों में हाट, बाजार में सामाजिक दूरी का पालन करें, इस हेतु भी गाँव के निवासियों को जागरूक किया जाना जरूरी है। ग्रामीणजन बुखार या सर्दी–खांसी से पीडित हों, तो वह नीम–हकीम के पास न जाकर सीधे डॉक्टर से संपर्क करें। चूँकि ग्रामीण अंचलों में चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव रहता है। अतः जागरूकता एवं टीकाकरण ही एक मात्र कोरोना से बचाव का उपाय है। यह भी उल्लेखनीय है कि कोरोना मुक्त ग्राम के संबंध में एस.ओ.पी. बनाई जाकर म0प्र0 राज्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा कोरोना मुक्त जागरूकता अभियान संचालित कर प्रदेश में चयनित लगभग 490 ग्रामों में वर्तमान समय तक लगभग 56,000 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पैरालीगल वालेंटियर्स एवं बाल मित्र के संयुक्त प्रयास से गाँवों को कोरोना मुक्त बनाया जा रहा है। प्रदेश के समस्त गाँव को कोरोना मुक्त बनाये जाने का दिशा में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयासरत है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा दिनांक 03.06.2021, 04.06.2021, 09.06.2021 एवं 10,06,2021 विवाद विहीन ग्राम योजना अंतर्गत गठित सेवा दल के सदस्यों के साथ ऑनमाध्यम से परिचर्चा का आयोजन किया गया। उक्त परिचर्चा में ग्राम को कोरोना मुक्त ग्राम बनाने हेतु सार्थक प्रयास किये जाने, कोविड 19 महामारी के अनुरूप व्यवहार करने, मध्यस्थता योजना, लोक अदालत योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा दिनांक 16.06.2021 को विवाद विहीन ग्राम मेलपाड़ा में जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग झाबुआ के समन्वय से कोविड–19 वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किया गया। टीकाकरण के लिये ग्रामवासियों ने उमंग एवं उत्साह दिखाया तथा टीकाकरण कैंप के साथ–साथ नालसा (आपदा पीड़ितों को विधिक सेवाऐं) योजना–2010 अंतर्गत विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया। शिविर में सभी नागरिकों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं वैक्सीन लगवाने की अपील की गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण कैंप के साथ–साथ स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया जिसमें मौके पर ही ग्रामीणों की स्वास्थ्य संबंधी ब्लड प्रेशर, शुगर एवं अन्य बीमारियों की जांचे की गई आवश्यकतानुसार दवाईयों का वितरण कर चिकित्सकों द्वारा उचित सलाह व परामर्श दिया गया। उक्त वैक्सीनेशन शिविर के माध्यम से कुल 60 ग्रामीणों का टीकाकरण हुआ तथा विधिक साक्षरता शिविर से लगभग 100 व्यक्ति लाभांवित हुये। गांव में शत–प्रतिशत टीकाकरण का प्रयास किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा शिविर में टीका लगवाने वाले नागरिकों एवं उपस्थित बच्चों को की ओर से बिस्किट के पैकेट, मास्क एवं ओ. आर.एस. घोल के पैकेट वितरित कराये गये।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम द्वारा दिनांक 18.06.2021 को ग्राम भाकरखेड़ी तहसील पिपलोदा जिला रतलाम में विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000 के अंतर्गत शिविर आयोजित किया गया। विवाद विहीन ग्राम योजना अंतर्गत ग्राम भाकरखेड़ी तहसील पिपलोदा को चिन्हित किया गया है, शिविर आयोजन के दौरान विवाद विहीन ग्राम के सरपंच, शिक्षक, प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं अधिकारीगण के साथ सेवा दल का गठन किया गया। सेवा दल के गठन पश्चात कोरोना मुक्त ग्राम हेतु ग्राम वासियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए सैनिटाइजर एवं मास्क वितरित किए गए। सचिव द्वारा ग्रामवासियों को वैकल्पिक विवाद समाधान के विभिन्न माध्यमो की जानकारी दी गई तथा उन्हें भविष्य में विवाद ना करने की सलाह दी गई। ग्राम में कोरोना काल के दौरान मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने एवं सैनिटाइजर का उपयोग करने हेतु जानकारी दी गई। योजना अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम तथा तहसील विधिक सेवा समिति जावरा के फोन नंबर व मेल आई डी तथा योजना की जानकारी से संबंधित पेंफलेट्स वितरित एवं चस्पा किये गए। उक्त कार्यक्रम में 200 व्यक्ति लाभान्वित हुए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम द्वारा जिला रतलाम के अन्य ग्रामों को भी विवाद विहीन ग्राम योजना अंतर्गत चिन्हित किए जाने हेतु कार्यवाही निरंतर की जा रही है।

Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.

..........Edward Everett Hale

Media News….

ग्राम बड़वेल में कोरोना महामारी से बचाव पर लगाई कार्यशाला

महेश्वर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार, तहसील विधिक सेवा समिति महेश्वर, के माध्यम से 'कोरोना मुक्त गांव' की कार्ययोजना का विवाद विहीन ग्राम बड़वेल में प्रचार प्रसार हेतु कोविड 19 नियमानुसार ग्राम पंचायत भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ।

[illegible]

आयोजन • जजों ने ग्रामीणों को किया प्रेरित, कहा बीमारी से बचने के लिए टीकाकरण जरूर करवाएं

गांव मेलपाड़ा में लगा कैंप, 60 लोगों ने लगवाया टीका

भास्कर संवाददाता | झाबुआ

जिला न्यायालय व विधिक सेवा प्राधिकरण ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से ग्राम मेलपाड़ा में बुधवार को टीकाकरण शिविर लगाया। यह ग्राम विवाद विहीन है, लिहाजा प्राधिकरण ने शिविर के लिए इसे ही चुना। शाम तक 60 ग्रामीणों ने टीका लगवाया। ग्राम के प्राथमिक विद्यालय सुबह 10 बजे शिविर का शुभारंभ जिला जज राजेश कुमार गुप्ता ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इसके बाद ग्रामीणों में टीकाकरण के लिए उत्साह देखा गया।

जिला जज, कलेक्टर, एसपी ने पहुंचकर ग्रामीणों को जागरूक किया।

शाम तक 60 ग्रामीण टीका लगवाने पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से लगे शिविर में ऑनस्पॉट रजिस्ट्रेशन कर ग्रामीणों का टीकाकरण किया गया।शिविर को संबोधित करते अपर जिला जज देवलिया ने ग्रामवासियों से कहा कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए टीका ही संजीवनी है। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग वैक्सीन लगवा कर सुरक्षित रह सकते हैं। उन्होंने कहा परिवार में वयस्क सदस्य टीकाकरण करा लेते है तो परिवार के बच्चे भी संक्रमण से सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने सभी को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं भीड़-भाड़ से बचने के लिए जागरूक किया गया। इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट अमन सुलिया, कलेक्टर सोमेश मिश्रा, एसपी आशुतोष गुप्ता, जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन, सीएमएचओ जयपाल सिंह ठाकुर, जिला टीकाकरण अधिकारी राहुल गणावा, सीईओ जनपद पंचायत चंदरसिंह मंडलोई, तहसीलदार प्रवीण ओहरिया आदि मौजूद थे।

टीकाकरण के साथ स्वास्थ्य जांच कर परामर्श दिया

स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण कैंप के साथ-साथ स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया। ग्रामीणों का ब्लड प्रेशर, शुगर एवं अन्य बीमारियों आदि की जांच की गई। इसके बाद चिकित्सक द्वारा आवश्यकतानुसार दवाई व परामर्श दिया गया। गांव में आगामी दिनों में भी कैंप लगाया जाएगा ताकि गांव में शतप्रतिशत टीकाकरण हो सके। टीका लगवाने वालों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बिस्किट के पैकेट, मास्क एवं ओआरएस घोल के पैकेट बांटे गए।

वेंगवा कला, रम्पुरा खुर्द, गैलपुर और गगनवाड़ा गांव कोरोना मुक्त

विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया कार्यक्रम

[illegible]

कोरोना मुक्त होने पर किया गया कार्यक्रम आयोजित

वेंगवा कला, रम्पुरा खुर्द, गैलपुर एवं गगनवाड़ा गांव

विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया आयोजन

[illegible]

सियरमऊ गांव में बनाया वैक्सीनेशन सेंटर

पहले ही दिन 140 युवाओं ने लगवाया टीका

[illegible]

न्यायाधीश गौहरगंज के निर्देशन में बनी कार्य योजना के तहत 211 ग्राम हुए कोरोना मुक्त।

दैनिक सिंगाजी समाचार

ओबैदुल्लागंज वृषभ यादव

औबेदुल्लागंज (सं) - मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन श्री ओमकारनाथ के मार्गदर्शन में तहसील विधिक सेवा समिति गौहरगंज की अध्यक्ष श्रीमती सुरेखा मिश्रा अपर सत्र न्यायाधीश गौहरगंज द्वारा तहसील गौहरगंज के अंतर्गत ग्राम को कोरोना मुक्त करने के लिए कार्य योजना तैयार कर इलेक्ट्रानिक माध्यम व्हाट्सएप/ईमेल के माध्यम से ग्रामों के सरपंच, सचिव, पैरालीगल वालेन्टियर को प्रदान की गई थी।जिसमें सरपंच, सचिव, पैरालीगल वालेन्टियर द्वारा ग्रामों में बताई गई कार्ययोजना अनुसार प्रचार प्रसार किया गया, जिसके फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी ओबेदुल्लागंज द्वारा आज मंगलवार दिनांक 7 जून तक प्राप्त जानकारी अनुसार विवाद विहीन ग्राम सहित कुल 211 ग्राम कोरोना मुक्त हो चुके है।

शिविर • न्यायाधीश ने वेगवा कला ग्राम पंचायत में आने वाले गांवों को सतर्कता बरतने की दी समझाइश

विधिक सेवा प्राधिकरण ने कोरोना मुक्त गांवों में लगाई चौपाल

भास्कर संवाददाता | सिलवानी

वेगवा कला ग्राम पंचायत के तहत आने वाले गांव वेगवा कला, रम्पुरा खुर्द, गैलपुर एवं गगनवाड़ा के कोरोना मुक्त होने पर विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा वेगवा कला गांव में शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में न्यायाधीश नीरज प्रजापति विशेष रुप से उपस्थित रहे।

इस दौरान न्यायाधीश नीरज कुमार प्रजापति ने ग्रामीणों को जागरूक करते हुए कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीन आवश्यक रुप से लगवाए। बेवजह घर से न निकले, मास्क लगाए, दिन में कई बार साबुन से हाथ धोए, सामाजिक दूरी का पालन करे। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उचित पोषण आहार लेने को प्रेरित किया गया। यहां पर न्यायाधीश के द्वारा लोगों को मास्क व सैनिटाईजर का भी वितरण किया गया।

आयोजित शिविर में जनपद सीईओ रश्मि चौहान, पंचायत सचिव साहब सिंह लोधी, सहायक सचिव सुमन जाटव, पटवारी संजू अजनावे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लक्ष्मीबाई, आशा कार्यकर्ता बबली कुशवाहा, शासकीय अध्यापक रघुवीर साहू, सामाजिक कार्यकर्ता फैजउल्ला खां, शुभम चौरसिया तथा पीएलवी कार्यकर्ता प्रहलाद सिंह एवं अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम में लोगो के द्वारा सहभागिता की गई। विधिक सेवा समिति सिलवानी के अध्यक्ष नीरज कुमार प्रजापति द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्ययोजना ग्राम हो कोरोना मुक्त के आलोक में पूर्व में व्हीसी के माध्यम से शिविर आयोजित किये गये थे। पीएलवी प्रहलाद सिंह रघुवंशी तथा तहसील अंतर्गत समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा ग्राम जन में जागरूकता संदेश फैलाया गया।

बैठक में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को समझाइश देते न्यायाधीश।

Success Story

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल की पैरालीगल वालेन्टियर द्वारा समाज सेविका के रूप मे अपने कर्तव्य का निर्वहन किया गया, जिसमें एक गरीब परिवार की कन्या संध्या मिश्रा को गोद लेकर उसकी सहमति से ग्राम कुदरी तहसील सोहागपुर में दिनांक 26.06.2021 को विवाह संपन्न किया गया। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एक अन्य पी.एल.व्ही. द्वारा कंवर समाजसेवियों के साथ मिलकर इस वर्ष अपने समाज की विधवा शांति सिंह कंवर का विधुर राकेश सिंह कंवर ग्राम कदौड़ी के मध्य पुर्नविवाह का कार्य सम्पन्न कराया, जो वास्वत में एक नारी सम्मान की रक्षा के साथ–साथ दो अधुरे व्यक्तियो को दामपत्य जीवन में खुशहाल रहने का एक पुनीत कार्य है। दो व्यक्तियो को अंधकार से प्रकाश की ओर लाने वाला कार्य मानव जीवन एवं मानवीय दृष्टि से सार्थक पहल है।

There is no charm equal to tenderness of heart.

..........Jane Austen

Women Empowerment

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर द्वारा दिनांक 09/06/2021 को महिला सुरक्षा वेलफेयर फाउंडेशन के सदस्यों के मध्य विधिक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिला सुरक्षा वेलफेयर फाउंडेशन के पदाधिकारी एवं सदस्यगण को विधिक जानकारियां प्रदाय की गई। सचिव द्वारा उपस्थित महिलाओं को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं, महिलाओं के अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता योजना, म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015, पॉक्सो अधिनियम की जानकारी दी गई। उपस्थित महिलाओं को योजनाओं के ब्रोसर्स भी वितरित किये गये।

"There is no limit to what we, as women, can accomplish."

---------Michelle Obama

Resolution of Complaint Received Through Legal Aid Helpline- 15100

Legal Issues	Non Legal Issues	Total
35	5	40

-----XXX-----

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

M.P. State Legal Services Authority

574, South Civil Lines, Jabalpur - 482001

Website : mpslsa.gov.in email : mplsajab@nic.in Toll Free No. 15100